



भारत विभाजन और हिन्दी उपन्यास



# भारत विभाजन और हिन्दी उपन्यास

हरियश

अनन्त्य प्रकाशन

हरियश  
प्रथम सहकरण 1986  
प्रकाशक अनन्य प्रकाशन  
सी 6/128 सी लारेंस रोड, दिल्ली-110015  
मूल्य 35 रुपये  
मुद्रक तरुण प्रिंटर्स, गान्धारा, दिल्ली 110032  
सहयोग भारती अग्रवाल

स्मृति शेष पिता  
श्री जसवत राय को



## भूमिका

उत्तरीस सौ सत्तालीस मे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो आजाद मुल्क अस्तित्व मे आए । इन दोनो मुल्को का जन्म समुक्त भारत का विभाजन करके किया गया और इस विभाजन की जमीन अटठारह सौ सत्तावन से वननी तयार हो गई थी, जब हिन्दू और मुसलमान एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उठ खड़े हुए थे । यह बगावत तो असफल रही लेकिन मुसलमानो के प्रति ब्रिटिश शासको की नीति म व्यापक और बुनियादी परिवर्तन हुए । ऐसी नीतिया बनाई गई जिससे मुसलमान आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित रह गए । दूसरी ओर हिन्दू राष्ट्रवाद को उभारने के लिए व हिन्दुओ को मुसलमानो से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए 1858 मे महारानी विक्टोरिया ने अनेक कदम उठाए । आगे चलकर 1906 मे मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई जिसने 1940 मे पाकिस्तान की माग सामने रखी । दूसरी ओर क्रांतिकारी शक्तिया काफी तेजी के साथ संगठित हाती जा रही थी । कांग्रेस इन शक्तियो के चरित्र को समझ रही थी, इसलिए उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सौदबाजी करनी चाही और अपने वग को बचाने के लिए उनसे मित्रकर ऐसी रणनीति तैयार की, जिसका उद्देश्य जनअसतोप को क्रांतिकारी रूप धारण करने से रोकना था । मुस्लिम लीग भी इन क्रांतिकारी शक्तियो को देख रही थी और समझ रही थी कि यदि कोई तात्कालिक हल न निकाला गया तो क्रांतिकारी शक्तिया ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ-साथ उसके वग को भी ध्वस्त कर देंगी इसलिए उसने पाकिस्तान की माग की ओर जोर दिया । ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी इस तथ्य से परिचित था और यदि ऐसा हो जाता है तो भारत से उसकी सामाजिक, आर्थिक पकड हमेशा के लिए छूट जाएगी । इसलिए भारत पर आर्थिक पकड बरकरार रखने के लिए उसने देश का विभाजन किया । विभाजन एक हादसे के रूप मे देश की जनता पर गुजरा । विभाजन के साथ ही सम्प्रदाय के आधार पर जनता की बदला-बदली जुड़ी हुई थी जिससे दोनो देशो को अनेक आर्थिक समस्याओ का सामना करना पडा । इन समस्याओ का प्रभाव शरणार्थियो के जीवन पर स्थाई रूप से पडा जिससे उनके सोचने-समझने की दृष्टि म बुनियादी परिवर्तन हुए । चूविजनता का स्थानांतरण सम्प्रदाय के आधार पर किया गया था इसलिए साम्प्रदायिक दंगे, हिंसा, सामूहिक जाक्रमण, रेलगाडियो म बरतल आम, घम परिवर्तन आदि की घटनाए व्यापक स्तर पर हुई जिससे 'नचेतना पर गम्भीर रूप से प्रभाव पडा । हिंदी उपन्यास साहित्य मे इन सन्भों की अभिव्यक्ति अपनी पूण समग्रता के साथ हुई है ।



## क्रम

- 1 1857 का विद्रोह विभाजन की साम्प्रदायिक  
पण्डभूमि और उसका विकास 9
- 2 विभाजन और साम्प्रदायिक सदम 24
- 3 हिन्दी उपन्यास विभाजन युगीन साम्प्रदायिकता की अभिव्यक्ति 27

## 1857 का विद्रोह विभाजन की साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि और उसका विकास

हिन्दुस्तान का बटवारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को आधार बनाकर किया गया था। मुस्लिम लोग की यह दलील थी कि हिन्दू और मुस्लिम दो अलग अलग सस्कृतिया हैं, अलग-अलग जीवन दृष्टियां हैं और दोनों के रहन सहन अलग-अलग हैं जबकि हकीकत यह थी कि दोनों सम्प्रदाय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण के प्रचण्ड शिकार थे और इससे मुक्ति पाने के लिए 1857 में दोनों सम्प्रदाय इसके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। 1857 के सघष के बाद सुनियोजित ढंग से साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया गया और वे सद्भ पैदा किए गए जिनके कारण हिन्दुस्तान के इतिहास को देश के बटवारे की ओर मोड़ दिया गया।

1857 का विद्रोह अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय सामन्तो द्वारा किया गया विद्रोह था। अंग्रेजों के आने से पहले पश्चिम से जो हमलावर आए थे उनमें और अंग्रेजों में मूलभूत अन्तर था। मुसलमानों ने जब भारत पर विजय प्राप्त की थी तब सिर्फ राजनतिक सत्ता हिंदू सामन्तो के हाथों से निकलकर मुस्लिम सामन्तो के हाथों में आई थी लेकिन भारत की आर्थिक व्यवस्था व उत्पादन सम्बंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐसा इसलिए हो सका था क्योंकि वे हमलावर आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारतीय सामन्तो से पिछड़े हुए थे और जिस समाज में वे रहते आए थे वह अधविकसित सामन्ती समाज था। लेकिन अंग्रेजों की स्थिति पहले वाले हमलावरों से भिन्न थी। उस समय ब्रिटेन में पूजावाद का पूरा विकास हो चुका था और उसकी पूजावादी अर्थव्यवस्था ने भारतीय सामन्ती अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। उनके लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक था कि वे एक व्यापारी के रूप में भारत आये थे और बिना इसके वे भारत का पूरुरूप से शोषण नहीं कर सकते थे।

अंग्रेजों ने अपने माल की अपनी आवश्यकता के लिए भारत के कृषि

उत्पादनो को विवृत किया और उन वस्तुओं के उत्पादन पर जार दिया जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए अनिवार्य थीं। उन्होंने अपने कानूनों का आधार लेकर देशी राजाओं की शक्ति को नष्ट किया व नई राजस्व व्यवस्था लागू की जिसके कारण किसानों की स्थिति विगड़ती चली गई। दूसरी ओर ब्रिटिश मशीनों से यंत्रों की तेजी से भारतीय बाजारों में पहुंचने लगी जिससे भारी संख्या में भारतीय-हस्तशिल्प बर्बाद हुए। इस शोषण के खिलाफ भारतीय सामन्तों ने मिल जुलकर आवाज उठाई।

इस विद्रोह का एक धार्मिक कारण भी था। 1858 में सर सैयद अहमद ने 'रिसाला असबाब ए बगावत ए हिंद' नामक एक सकुलर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि ईसाई प्रचारकों द्वारा मुसलमानों को अपने धर्म में लेने के कारण मुसलमान ईस्ट इण्डिया कम्पनी से असंतुष्ट थे और यह मानते थे कि अंग्रेज शासक छल और कपट से समय आने पर मुसलमानों की गरीबी और उनके भोलेपन का फायदा उठाते हुए उन्हें ईसाई धर्म का जामा पहना देंगे। सकुलर में यह भी कहा गया था कि सन 1837 में बंगाल में ईसाइयों ने अनाथ बालकों के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ईसाई धर्म में मिला लिया था।

अपने धर्म के प्रति कट्टरपथी होने के कारण भारतीय मुस्लिम सामन्तों में ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध घणा फैली और उन्होंने इस विद्रोह में हिस्सा लिया।

लेकिन इस विद्रोह के नेताओं के पास न तो कोई राष्ट्रीय स्वरूप था और न ही कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसके तहत राजतंत्र की स्थापना की जा सके। इस व्यापक जन समर्थन भी नहीं मिल सका। लिहाजा इस विद्रोह में अपनी गद्दी से हटाए गए रजवाड़ा की असंगठित भीड़ के आक्रोश को ही अभिव्यक्त किया। अपनी असफलता का बावजूद इस विद्रोह का बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष यह था कि पहली बार हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी जग का एलान किया था।

चूंकि विद्रोह का नेतृत्व मुसलमानों ने किया था, इसलिए मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में व्यापक और बुनियादी परिवर्तन हुए। ऐसी नीतियाँ व्यवहार में लाई गईं जिनमें मुसलमानों को अधिक दृष्टि में उपेक्षित और पिछड़े रह जाएँ। नई नीतियों के परिणामस्वरूप मुसलमानों को नई शिक्षा पद्धति और फौज के ऊँचे पदों से अलग रखा गया। इससे मुसलमानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई क्योंकि फौज में भरती होना मुसलमानों का प्रमुख पेशा था। सरकार सरकारी अधिसूचनाओं द्वारा मुसलमानों को जान बूझकर सरकारी नौकरियों से अलग कर रही थी।

एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवादी, मुसलमानों को उपेक्षित करने के लिए नई नई नीतियाँ बना रहे थे तो दूसरी ओर हिंदू राष्ट्रवाद को उभारने के लिए

महारानी विक्टोरिया द्वारा नये नये कदम उठाये जा रहे थे। 1857 के मघप में हिंदुओं और मुसलमानों की पारस्परिक एता और साम्राज्य के लिए आसन सबट को देखते हुए 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत के मन्व्यघ में अनेक परिवर्तन किए गए, जिनका संकेत एम० एन० राय ने अपनी पुस्तक 'फ्रीडम मूवमेंट एण्ड इण्डियन मुस्लिम' में किया है। इसमें मुसलमानों को प्रशासनिक पदों पर न लेना, उच्च ब्राह्मण, गैर-ब्राह्मण तथा चाण्डाल जातियों में वैमनस्य का बीज बोना, भारतीय मामती ढांचे को बरकरार रखना आदि प्रमुख थे। एम० एन० राय के अनुसार, "इसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुओं की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए आय समाज की स्थापना की। हिंदुओं के वेद, उपनिषद व अथ धर्मग्रन्थों को श्रेष्ठ कहा गया। बकीम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद आदि की महत्ता म्यापित की गई। यह नीतियां दोनों तरफ प्रहार करने वाली थी। एक तरफ हिंदू राष्ट्रवाद का गुणगान किया गया, हिंदुओं की महत्ता प्रतिपादित की गई तो दूसरी तरफ मुसलमानों को शिक्षा, नौकरी-व्यवसाय आदि के क्षेत्र में वंचित रखा गया।

इतिहास की दौड़ में मुसलमान समय के साथ नहीं चल सके। इसका कारण, उनका अपना पिछड़ापन और अपने धर्म का सामाजिक विकास की गति में तालमेल न बिठाना भी था। अंग्रेजों ने उनकी इन मानसिकता को और बढ़ावा दिया। अंग्रेज, मुसलमानों से इसलिए भी खफा थे क्योंकि मुसलमानों ने ही बहावा विद्रोह का नेतृत्व किया था। लिहाजा अंग्रेजों ने शासन, शिक्षा, नौकरी तथा व्यवसाय में ऐसी नीतियां बनाईं जिनमें मुसलमान उपेक्षित रह गए। इसी समय ब्रिटिश शासकों ने शिक्षा में 'अंग्रेजी' को अनिवार्य बना दिया। इससे मूलभाषा उद और फारसी का महत्त्व कम होने लगा। मुसलमान नई शिक्षा पद्धति में अपने आपको नहीं ढाल सके। इसके विपरीत हिंदू एक ओर तो कानूनी, डाक्टरों और प्रशासनिक पदों में प्रतिष्ठित होने लगे और दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अगुआ भी बनने लगे।

मुसलमानों को आगे बढ़ाने और हिंदुओं की बराबरी करने में सर सैयद अहमद खा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय पर सर सैयद अहमद खा के मन में यह भय पदा हो गया था कि कांग्रेस मूलतः हिंदुओं की पार्टी है और यदि यह सत्ता में आती है तो मुसलमानों के प्रति ईमानदार नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीव्र विरोध किया और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहने की कगमे खाई। उन्हें इस बात का भी भय था कि यदि अंग्रेजों ने उनकी मदद नहीं की तो हिंदू अपनी श्रेष्ठतम शिक्षा और आर्थिक प्रगति से उन्हें दवा देंगे। इसलिए उनका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी बग की शिक्षा, यूरोपीय साहित्य, विज्ञान और तकनीकी वा जान

करवाना था, इसने लिए उन्होंने 1863 में साइटिफिक सोसायटी बनाई, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी ग्रन्थों का उर्दू में अनुवाद उपलब्ध करवाकर मुसलमानों को पश्चिमी ढंग से शिक्षित करना था, जिससे उन्नी जाति बमजोर और पिछड़ी न रह जाये।

सर सैयद अहमद खान ने 1888 में संयुक्त भारत देशभक्त संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इंग्लैण्ड की संसद को यह आश्वासन कराना था कि सभी वर्गों के मुसलमान, कांग्रेस के विरोधी हैं। इसी क्रम में मुसलमानों को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अलीगढ़ में 'मोहम्मद'स एंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी। वस्तुतः सर सैयद अहमद जिन मुसलमानों की क्वालिटी बढ़ाते थे उनमें मुठठी भर धनवान मुस्लिम ही शामिल थे। दूसरी तरफ हिंदू भी अपने व्यापार में धन लगाने के लिए ब्रिटिश शासकों की तरफ ललचाई दृष्टि से देखा करते थे जिसके फलस्वरूप वह जमीन तैयार हो गई जिस पर हिंदू और मुसलमानों की कटुता के बीज आमानी से बोये जा सकें।

इस वैमनस्य को और तीव्र एवं पेचीदा बनाने के लिए ब्रिटिश इतिहासकारों ने साम्प्रदायिक सदमों में इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत की। भारतीय ऐतिहासिक चिन्तन को प्रभावित करने के लिए जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा जिसमें अतीत की घटनाओं को नवीन साम्प्रदायिक सदमों में देखा गया। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के तीन कालों को हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश सभ्यता के रूप में विभाजित कर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। बाद के इतिहासकारों ने भी प्राचीनकाल को हिंदू काल और मध्य काल को मुस्लिम काल के नाम से पुकारा। मध्य काल को मुस्लिम काल मान लेने का आशय यह है कि सभी शासक मुसलमान थे और सारी प्रजा हिंदू। आगे आने वाले इतिहासकारों ने भी एक ओर मुस्लिम शासन, मुस्लिम बम और मुस्लिम दृष्टि को आधार बनाकर इतिहास लिखा तो दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण शासन और ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को प्रचारित किया।

अतीत का गौरवगान करने के लिए एक साम्प्रदायिक चेतना फैलाने के लिए इतिहासकारों ने मिथकों का नये साम्प्रदायिक सदमों में प्रस्तुत किया। यह प्रचार किया गया कि भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में श्रेष्ठ थी और मुसलमानों की लूट के कारण भारत की शोने की चिड़िया उड़ गई। इसे प्रचारित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मुसलमानों को भारत की लूट का दोषी ठहरा जाये और हिंदुओं के मन में उनके प्रति घृणा फैलाई जाये।

इसी प्रकार एक अन्य मिथक द्वारा यह साबित किया गया कि भारत में मानवीय सभ्यता आदि रूप में पनपी, इसके लिए यह दलील दी गई कि भारतीय प्रतिभा जाध्यात्मिकता में निहित है और इसलिए वह पश्चिम की तमाम सभ्य-

ताओं से श्रेष्ठ है। भारत को जगतगुरु घोषित किया गया और यह कहा गया कि भारत में भी परमाणु बमों और विमानों का अस्तित्व था। इसके लिए रामायण और महाभारत जैसे ग्रन्थों का सहारा लिया गया। जिसका मूल उद्देश्य यह था कि भारतीय अब दरिद्र और दीन हो गए हैं। हमारा आर्थिक विकास रुक गया है और हमारी दरिद्रता के जिम्मेदार हैं मुसलमान।

इस प्रकार इतिहास की साम्प्रदायिक व्याख्या द्वारा भारतीय जनमानस में उस साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का प्रचार किया गया जो आगे चलकर साम्प्रदायिक भेद भाव का मूल आधार बना। इस भेद-भाव को आगे बढ़ाने के लिए सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई, जिसने आगे चलकर पाकिस्तान की मांग सामने रखी।

दरअसल बहुत पहले से ही सर सैयद अहमद खा कांग्रेस का विरोध करते आ रहे थे। वे 'हिन्दू पार्टी' कहकर इसकी निंदा किया करते थे। उन्होंने प्रारम्भ से ही मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग रखने का प्रयास किया और इसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। उन्होंने ब्रिटिश शासकों को इस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमानों का प्रबल बहुमत कांग्रेस विरोधी है और वे एक राष्ट्र के रूप में हैं।

1890 में सर सैयद अहमद ने मुसलमानों को विशेष सुविधाएँ देने के लिए अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। मुसलमानों में जातिगत विरोध के कारण सभी प्रस्ताव दब गए, लेकिन सन् 1906 में मुसलमानों का एक डेपुटेशन वायसराय लाड मिंटो से मिला जिसकी व्यवस्था स्वयं ब्रिटिश शासकों ने की थी। मुसलमानों का डेपुटेशन, ब्रिटिश शासकों से किस किसकी फरियाद करेगा, यह भी स्वयं ब्रिटिश प्रशासकों ने तय कर दिया था।

इसी डेपुटेशन के आधार पर 30 दिसम्बर, 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों का राजनीतिक दल तयार करना था।

वस्तुतः लीग के नेताओं को हमेशा इस बात का भय बना रहा कि अगर ब्रिटिश राज खत्म हो गया तो हिन्दू हम पर राज्य करेंगे इसलिए उन्होंने हमेशा ऐसे काय किए जिससे ब्रिटिश हुकूमत को बरकरार रखा जा सके।

वायसराय लाड मिंटो ने जो आश्वासन मुस्लिम डेपुटेशन का दिए थे, माल्लो मिंटो सुधार द्वारा उन्हें हकीकत में बदला गया। हिन्दुओं को उपेक्षित कर मुसलमानों को विशेष हिदायतें दी गईं। चुनावों में मुसलमानों का पलड़ा भारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए गए। यह आवश्यक कर दिया गया कि सिर्फ वही हिन्दू वोट दे सकते हैं जो तीन लाख की आमदनी पर आयकर देता है जबकि मुसलमानों के लिए यह सीमा तीन हजार रखी गई। इसी प्रकार हिन्दुओं

के लिए यह आवश्यक था कि वह तीस साल पुराने ग्रेजुएट हा जबकि मुसलमानों के लिए यह सीमा सिर्फ तीन साल थी।

1909 के माले मिटो रिफॉर्म से भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक् चुनाव क्षेत्रों और अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। इसी अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक सिद्धांतों का प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में ब्रिटिश शासकों ने सिर्फ मुसलमानों का अलग निर्वाचन क्षेत्र और अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की, परंतु बाद में सिक्खों, दलित जातियों और दश के अन्य अल्पसंख्यक दलों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम सम्बन्धों में और भी कड़वाहट पैदा हो गई।

### राजनैतिक आधार

लीग की स्थापना और माले मिटो रिफॉर्म लागू करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया गया। साम्प्रदायिक विभेद का बढ़ाने के लिए हिंदू महासभा को अस्तित्व में लाया गया। मुसलमानों की तमाम साम्प्रदायिक समस्याएँ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम से अलग हटकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आगे घुटने टेकने लगीं। हिंदू महासभा ने जब यह देखा कि मुसलमानों के लिए विभिन्न सरकारी पद सुरक्षित रखे गए हैं तो वह हिंदुओं के लिए, नौकरियों में आरक्षण के लिए ब्रिटिश शासकों से भीख मागने लगी। हिंदुओं के पास पहले से ही काफी नौकरियाँ थी, वे उसे बचाना चाहते थे तथा मुसलमानों अपने लिए और नौकरियों की मांग कर रहे थे।

1907 में जब यह घोषणा की गई कि चुनाव, घम के आधार पर हुआ करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका कोई विरोध नहीं किया। चुनाव सम्बन्धी यह नीति हिंदू-मुस्लिम वैभक्त्य का मूल आधार थी।

इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने मुसलमानों को, चुनावों में अलग प्रतिनिधित्व देकर मुस्लिम लीग को कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक-दूसरे से मिलने के लिए बाध्य हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में जिन 19 सदस्यों ने कांग्रेस और लीग में एकता लाने की कोशिश की थी उनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी एक थे। 1916 में कांग्रेस और लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। यह अधिवेशन लीग और कांग्रेस की एकता का प्रमाण था। दोनों पार्टियों ने मिलकर याचना तैयार की थी जो कांग्रेस लीग के नाम से विख्यात हुई। इस समय तक जिन्ना कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वे निरंतर यह प्रयास करत आ रहे

ये कि मुसलमान कांग्रेस के निकट आए। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ही सत्ताज समझौता मभव हो सका। लीग के सखनऊ अधिवेशन पद में भाषण करते हुए जिन्ना ने कहा था, "मैं जिन्गी भर पकटा कांग्रेसी रहा हूँ और सभीजतावादों नारों का भी मैं प्रेमी नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे सपता है कि मुसलमानों पर अलगाववाद का जा इल्जाम लगाया जाता है वह बिल्कुल अनुचित और बेतुका है, अब मैं यह देखता हूँ कि महान् साम्प्रदायिक सगटन तेजी के साथ बढ़कर असंगठित भारता के अस्थिरता का शक्तिशाली अस्त्र बन सकता है।"

मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं द्वारा परस्पर एकता स्थापित किए जाने की बेइतहा चाह के बावजूद दोनों पार्टियों में एकता ज्यादा समय तक न रह सकी और आपसी अंतर्विरोधों के कारण दोनों पार्टियाँ अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ीं।

भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ पारसी, सिख, ईसाई भी रहते थे लेकिन इन्होंने कभी भी अलग से साम्प्रदायिक किस्म की माँगें सामने नहीं रखीं। इस सम्प्रदाय के लोगों ने यह माँग कभी नहीं उठाई कि जय किसी सम्प्रदाय से उन्हें सतरा है, सिफ पनाय और बगान का हिन्दुआ व मुसलमानों की ही बहुमत समुदाय से सतरा दिग्गई देने लगा था। अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की माँग से हिन्दुआ और मुसलमानों में सघष और भी तेज हो गया। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री न यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार विनेप स्थिति में सरदाग रखते हुए उत्तरदायी सघ शासन के सिद्धांत को स्वीकार करती है। गवर्नरी प्रांतों में, बाहरी हस्तक्षेप में रहित पूरा उत्तरदायी शासन रहेगा और विभिन्न प्रांत अपने मनोनुकूल शासन चला सकेंगे।' इसका जिन्न राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक 'खण्डित भारत' में किया है। इस घोषणा के बाद ही 1932 में साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया। इसमें न सिफ मुसलमानों के लिए बल्कि ईसाइयों, सिक्खों, पारसियों, एंग्लो इण्डियनों, महिलाओं के लिए भी स्थाय मुरक्षित रखे गए।

मार्लिन मिंटो रिफॉर्म में जिम साम्प्रदायिक भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया था माटेय चेम्सफोर्ड वह बेहद तीव्र हो गईं।

1937 के चुनावों में कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस ने सभी गैर-मुस्लिम सीटों और कुछ मुस्लिम सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए। चुनाव में, उन प्रांतों में उनके उम्मीदवार विजयी हुए जहाँ पर मुसलमानों की सख्या अधिक थी, लेकिन दूसरी ओर लीग को बंगाल, पंजाब, सीमाप्रांत व सिंध के श्ताकों में अधिक सफलता नहीं मिल सकी। इस चुनाव में लीग की हार के बाद भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से अलग से मुस्लिम राष्ट्र की माँग सामने आई। इक्वाल 1930 में ही पंजाब, उ० प्र०, सी० प्रा० सिंध और बिलोचिस्तान



के मुसलमानों को अलग करने की मांग कर रहे थे। चुनावों में, मुस्लिम लीग की हार से, इन मांगों ने काफी जोर पकड़ लिया जिसे फरवरी 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग सामने रखी गई।

1857 से ही जिस विघटन को आधार प्रदान किए जा रहे थे, उसे ठोस रूप देने के लिए पाकिस्तान की मांग सामने रखी गई। यह मांग उस समय हुई जब 1937 के चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त विजय मिली। मुस्लिम लीग 1921 से ही चंद मुट्ठी भर मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। पाकिस्तान की मांग से पहले, भारत में उत्तर पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों को—जहाँ मुसलमानों का बहुमत था—अलग से प्रभुसत्ता सम्पन्न किए जाने की मांग उठाई गई थी। बाद में यही मांग अलग से छ प्रान्तों में मुस्लिम राज्य की मांग बन गई। जिस समय यह मांग प्रस्तुत की गई थी, उस समय मुस्लिम जनता भी उसके साथ थी। लेकिन मुस्लिम नेताओं ने जनता को नहीं बल्कि जमींदारों, ताल्लुकेदारों और सरमाएदारों को ध्यान में रखते हुए एक अलग राज्य कायम करने की पहल की।

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के राजनैतिक क्षितिज में व्यापक परिवर्तन आया। ब्रिटेन ने 3 सितम्बर, 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के कुछ घंटों बाद भारत के राष्ट्रीय नेताओं में मलाह किए बिना, भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से विरोध करने के लिए कांग्रेस ने उन सात मंत्रिमण्डलों से इस्तीफा दे दिया जहाँ वह सत्ता में थी। कांग्रेस द्वारा मंत्रिमण्डल से त्याग-पत्र दिए जाने पर मुस्लिम लीग ने खुशी का इजहार किया और 1940 में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग सामने रखी।

26 मार्च, 1940 को लीग ने लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया जो आगे चलकर लाहौर प्रस्ताव के नाम से मशहूर हुआ। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर साबरीमण्डल की मांग की गई। प्रस्ताव में कहा गया था 'फैसला किया जाता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन की इस राय में कोई चयनित योजना उस वक़्त तक इस देश में कार्यान्वित नहीं की जा सकती या मुसलमानों को मजूर नहीं हो सकती जब तक कि वह नीचे लिखे बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाई जा सकती। भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे में सटी हुई इकाइयों को अलग करके और उनमें आवश्यक सीमा परिवर्तन करके ऐसे प्रदेश बना दिए जाएं जिन क्षेत्रों में सख्या की दृष्टि से मुसलमानों का बहुमत हो—जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उन मुस्लिम क्षेत्रों को मिलाकर ऐम स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जाएं जिनमें शामिल इकाइयों को स्वायत्त शासन का अधिकार तथा पूर्ण स्वतंत्रता

प्राप्त होगी।

लाहौर अधिवेशन का यह प्रस्ताव जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर आधारित था। जिन्ना यह मानते थे कि भारत में मुसलमान एक राष्ट्र हैं जिनकी अलग सस्कृति है, अलग रहन सहन है व जिनके रीति रिवाज, धर्म, दशन, अलग अलग हैं। उनमें परस्पर रोटो-बेटी का सम्बन्ध नहीं है। जीवन पर दोनों भिन्न प्रकार से विचार करते हैं। दोनों के जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण में अंतर है। जबकि स्थिति बिल्कुल इनके विपरीत थी। जिन्ना द्वारा राष्ट्रीय मिद्धांत का प्रचार एक प्रतिगामी प्रचार था। वस्तुतः मुसलमान व भी भी एक राष्ट्रीय इकाई के रूप में उभरकर सामने नहीं आए। उनका अपना निश्चित कोई भी भाग नहीं था वे भारत के प्रत्येक प्रांत में रहते थे और जिस प्रांत में वे रहते थे वही की भाषा बोलते थे और वहां की सस्कृति में रच बस गए थे।

मोहम्मद अली जिन्ना ने छोटे छोटे और अलग अलग बिचरे हुए दलों को मुस्लिम लीग में शामिल करने की कोशिश की, जिससे कि लीग ही मुसलमानों की एकमात्र सस्था बनकर रह जाए। पाकिस्तान की कालत करते हुए जिन्ना ने कहा, कि 'हम ब्रिटिशों को हटाना चाहते हैं, लेकिन अपने स्वामी की बदली करना नहीं चाहते। भारत के तीन चौथाई भाग में हिंदू हैं, जहां वे राज्य कर सकते हैं लेकिन मुसलमान सिर्फ एक चौथाई भाग में हैं। अतः दोनों को स्वतंत्र होना है, इसमें हानि क्या है?' उन्होंने आगे कहा, मि० गांधी, नेहरू, पटेल और अन्य नेता पूरे भारत पर राज्य करने का अपना स्वप्न छोड़ दें, जोकि अब सम्पन्न हो चुका है।

मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान को मजबूत बनाने का एक आधार और भी था। वह यह कि कांग्रेस ने पूर्व समझौते के अनुसार मुस्लिम प्रतिनिधियों को समुक्त सरकार में लेने से इकार कर दिया। चुनाव के पूर्व यह समझौता हुआ था कि अगर समुक्त सरकार बनाई जाएगी तो मुस्लिम लीग के दो नेताओं को मंत्रिमण्डल में लिया जाएगा। चुनाव के बाद कांग्रेस ने इस समझौते को व्यवहार में लाने से इकार कर दिया। मौलाना आजाद ने, जो कि उस समय कांग्रेस के नेता थे, लीग के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके यह तय किया था कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य करेगी तथा चौधरी खलीकुज्जमा और नवाब इस्माइल खा दोनों को समुक्त प्रदश की सरकार में लिया जाएगा, लेकिन नेहरू इस प्रस्ताव को न मान सके, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई समझौता न हो सका। आजाद मानते थे कि कुछ ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इन दोनों को मंत्रिमण्डल में लेना अनिच्छाय होगा, लेकिन नेहरू सिर्फ एक का मंत्रिमण्डल में लेने के पक्ष में थे। इस आशय का एक पत्र नेहरू ने उनको लिखा था। आजाद ने इस घटना को सबसे

दुभाग्यपण बताते हुए कहा, "अगर समुन्नत प्रदेश में लीग के सहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया होता तो मुस्लिम लीग पार्टी व्यवहारत कांग्रेस में मिल गई होती।"

भारत विभाजन की योजनाएँ 1939 में प्रस्तुत की जाने लगी थीं। 1939 में ही लीग के नेताओं की तरफ से दो योजनाएँ उभरकर सामने आईं। एक योजना रहमत अली की और दूसरी अब्दुल लतीफ की। रहमत अली की योजना के अनुसार सिंध, पंजाब, सिंध पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, बिलोचिस्तान और काश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, लेकिन अब्दुल लतीफ की योजना इससे दो कदम आगे थी। उनकी योजना के अनुसार उपर्युक्त प्रांतों के साथ-साथ बंगाल और आसाम को भी भारत से अलग कर देना चाहिए। लेकिन 1940 में लीग ने मुस्लिम बहुल प्रदेशों को हिंदुस्तान में अलग करने तथा उनको मिलाकर एक राज्य कायम करने की मांग की और लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को स्पष्ट करते हुए 1945 में जिन्ना ने कहा, 'भारत का गतिराध, उतना ज्यादा भारत और अंग्रेजों के बीच में नहीं है। वह असल में हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में है। जब तक पाकिस्तान नहीं दिया जाता तब तक कोई समस्या हल नहीं हो सकती। एक नहीं, दो विधान सभाएँ बनानी होंगी। उनमें से एक हिंदुस्तान का विधान बनाएगी, दूसरी पाकिस्तान का।'

जिस समय जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उस समय उनसे पास पाकिस्तान की सीमारेखा के बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी। वे पहले इस मांग को स्वीकार करवा कर, पाकिस्तान की सीमा रेखा के बारे में बाद में विचार करना चाहते थे।

पाकिस्तान की मांग को मजबूती में सामने रखने की एक वजह और भी थी, वह यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह देख रही थी कि भारत में प्रातिविकारी शक्तियाँ बहुत तेजी से संगठित होती जा रही हैं और जनआंदोलन पर उनकी पकड़ बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को यह भय हो चला था कि वही ऐसा न हो कि आंदोलन की बागडोर हमारे हाथों से निकलकर वामपंथी ताकतों के हाथों में चली जाये, लिहाजा कांग्रेस ने ब्रिटेन से सौदेबाजी करनी चाही और जनआंदोलन को एक ऐसा मोड़ दिया जिससे ब्रिटिश शासक कांग्रेस को ही सत्ता सौंप सकें। दूसरी ओर मुस्लिम लीग, कांग्रेस के इस भय को पहचान चुकी थी। उस भी अपने बग के लिए खतरा महसूस होने लगा था। अपने को खतरे में बचाने के लिए तथा वामपंथियों और कांग्रेसी नेताओं के हाथों में सत्ता जाने से रोकने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग को लेकर साम्प्रदायिक उपद्रवों की घमकी कर, अपनी मांग पर और जोर दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् भारत में राजनैतिक और आर्थिक असंतोष बहुत तजी से बढ़ने लगे थे और इस बात की पूरी संभावना थी कि ये असंतोष हिंसक क्रांति का रूप धारण कर लेंगे। ब्रिटिश सरकार इस आसन्न स्थिति से अच्छी तरह परिचित थी। इस स्थिति पर काबू पाने तथा भारतीय राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत में भेजा था।

राजनैतिक और आर्थिक असंतोष न सिर्फ जनता में, बरन पुलिस और सेना में भी फैल रहे थे जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 1946 में वायुसेना तथा नौसेना के अनेक केंद्रों में व्यापक हड़तालें हुई थी। एक तरफ क्रांतिकारी शक्तियाँ अपनी पूर्ण शक्ति के साथ सगठित होती जा रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इन क्रांतिकारी शक्तियों का विरोध कर रहे थे। लगभग इसी समय गांधी जी ने भारत के क्रांतिकारी सघष की तीव्र भर्त्सना की थी।

भारत की क्रांतिकारी शक्तियों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटली भी परिचित थे। उन्होंने भी अपने भाषण में स्पष्ट किया था कि 1946 की स्थितियाँ 1920, 1930 और 1942 की नहीं हैं परंतु उनका लक्ष्य वही था।

मिशन ने 23 मार्च, 1946 को कांग्रेस और लीग के अध्यक्षों का त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन भारत के संविधान को लेकर प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन के बाद मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार, 'ब्रिटिश भारत का भावी संवैधानिक स्वरूप इस प्रकार होगा। संघीय सरकार के हाथों में निम्नलिखित बातें होंगी—विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार प्रान्तों के दो समूह होंगे—एक समूह में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत होंगे और दूसरे में हिंदू बहुमत वाले। ये अथ उन सभी विषयों पर कायवाही करेंगे जिन्हें अपने-अपने समूह के प्रांत समवेत रूप से करना चाहेंगे। प्रांतीय सरकारों अथ सभी विषयों पर कायवाही करेंगी और उनमें सभी शेष प्रभुसत्ता सम्पन्न होगी।

5 मई से 12 मई तक शिमला में सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस के चार प्रतिनिधि मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खाने भाग लिया। मिशन ने सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की मांग की, परंतु कोई समझौता सम्भव न हो सका। 16 मई, 1945 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित कर दी, जिसके अनुसार देश को तीन भागों—क, ख और ग में विभाजित कर दिया गया। 'क' भाग में हिंदू बहुमत वाले क्षेत्र होंगे, 'ख' भाग में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश और विलोचिस्तान होंगे। यह मुस्लिम प्रधान क्षेत्र होगा। भाग 'ग' में जिसमें बंगाल और आसाम थे, मुसलमान शेष लोगों से कुछ ज्यादा होंगे।

दूसरी तरफ 16 मई, 1946 को वायसराय लार्ड वेवेल ने विभिन्न घर्षों के

आधार पर अतिरिक्त सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि 40 प्रतिशत सीटें हिन्दुओं को दी जाएगी, जिन्हें कांग्रेस मनोनीत करेगी और 40 प्रतिशत सीटें मुसलमानों को दी जाएंगी जिन्हें मुस्लिम लीग नामजद करेगी। बाकी 20 प्रतिशत सीटें सिखों, भारतीय ईसाइयों, अनुसूचित जातियों और पारमियों में बाटी जाएंगी।

26 जून, 1946 को मिशन वापस गया था और 29 जुलाई, 1946 को जिल्हा ने 'डायरेक्ट ऐक्शन डे की घोषणा की। मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन में कहा, 'आज हमने इतिहास का सबसे ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लीग के इतिहास में हमने कभी वैधानिक उपायों को छोड़कर दूसरे उपाय नहीं करते लेकिन आज हम वाध्य हैं। हम वैधानिक उपायों को विदा देते हैं। लीग के मुख-मंत्र डान ने लिखा था, 'डायरेक्ट ऐक्शन का दिन आ गया है और मुसलमानों को अपने अधिकार बलपूर्वक प्राप्त करने होंगे।' 16 अगस्त, 1946 को 'डायरेक्ट ऐक्शन डे मनाने का निर्णय लिया गया। इस तारीख से दो सप्ताह पहले जिन्हा ने घोषणा की थी, 'हम हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे या इसे तबाह कर देंगे।' इस दिन भयानक रक्तपात हुआ। दंगे, आगजनी, लूटपाट, हत्याओं का ताण्डव नृत्य दखा गया। माटे तौर पर इस दिन 7000 व्यक्ति मारे गये और बहुत से लोग घायल हुए।

यह सब केबिनेट मिशन के फलस्वरूप हुआ। मौलाना आजाद ने 'डायरेक्ट ऐक्शन डे की इतिहास का काना दिन बताते हुए लिखा, "16 अगस्त 1946 का दिन न सिर्फ बलवत्ते के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए काना दिन था। परिस्थितियों ने इस तरह मोड़ ले लिया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझौता असम्भव दिखाई दे रहा था।'

1946-47 तक आते-आते भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था और भारत की प्रातिकारी शक्तिया तजी के साथ सगठित होती जा रही थी। 17 अप्रैल 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री एटली ने किंग जाज 6 से यह इच्छा प्रकट की थी कि वे माउण्टबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजना चाहते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने संसद में बयान जारी किया कि भारत की वर्तमान हालत खतरे में भरी हुई है और इसे ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने घोषणा की, 'बादशाह सलामत की सरकार यह साफ कर देना चाहती है कि 1948 के पहले पहले जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता सौंप देने के लिए जरूरी बंदम उठाया जा उनका पक्का इरादा है।

20 फरवरी 1947 को एटली ने उपयुक्त बयान जारी किया था और 24 मार्च, 1947 को माउण्टबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। लार्ड

माउण्टबेटन ने भारत आते ही कांग्रेस और लोग के नेताओं से मिलना प्रारम्भ किया। उनके आने से पहले कैबिनेट मिशन भारत आया था लेकिन वह असफल ही होकर लौटा। माउण्टबेटन ने बड़ी चतुराई से विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं को विभाजन के पक्ष में करके 3 जून, 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार, 'हिन्दुस्तान को दो हिस्सों, भारतीय सभ और पाकिस्तान में बांट दिया जायगा।' इन दोनों राज्यों की अंतिम सीमा निर्धारित करने से पहले पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह और सिंध विधान सभा में मतदान यह जानने के लिए किया जायेगा कि उक्त दोनों राज्यों में से वे किसमें शामिल होना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के विभाजन से पहले पंजाब और बंगाल के सीमांकन के सवाल का फंसला करना होगा। इस सवाल का हल करने के लिए निम्नलिखित रास्ता अपनाया होगा। प्रत्येक प्रान्त की विधान सभा को दो ग्रुपों में बांट दिया जाएगा — (क) मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों का ग्रुप, (ख) हिन्दू बहुसंख्यक जिलों का ग्रुप। हर ग्रुप अपने प्रांत के विभाजन के पक्ष या विपक्ष में वोट देगा कि वे पूरे के पूरे पाकिस्तान में चले जाएंगे या दोनों राज्यों में बांट दिए जाएंगे। अगर एक ग्रुप विभाजन चाहेगा तो दूसरे ग्रुप के न चाहने पर भी प्रान्तों का बंटवारा कर दिया जाएगा। इन कार्यों को पूरा करने के बाद हिन्दुस्तान की संविधान सभा का दाहिने हिस्से में बांट दिया जाएगा। देशी रियासतों को यह तय करने का अधिकार होगा कि वे किस डोमीनियन में शामिल होना चाहती हैं। अगर कोई रियासत किसी भी डोमीनियन में शामिल नहीं होना चाहती तो ब्रिटेन के साथ उसके पहले जैसे सम्बंध बने रहेंगे लेकिन वह डोमीनियन नहीं बन सकेगी। माउण्टबेटन की यह योजना देश को विभाजित करने की योजना थी और राजे रजवाड़ों के साथ पहले जैसे सम्बंध बनाए रखना चाहती थी। मुस्लिम लीग ने इस योजना को जोरदार स्वागत किया और कांग्रेस के नेताओं ने भी बहुत हिचकिचाहट के बाद इसे स्वीकार कर लिया।

कांग्रेस द्वारा योजना को स्वीकार किये जाने का विरोध, देश की सामान्य जनता ने भी किया। हिन्दुओं का बहुनायक ऐसा था जो यह मानता था कि वे मुसलमानों को बाहर निकालकर देश को आगे ले जा सकेंगे मगर समय होंगे लेकिन डी० डी० तेन्दुलकर के अनुसार, 'ऐसे लोग भी थे जो यह देख रहे थे कि विभाजन, भारतीय समस्याओं का कोई हल नहीं है। माउण्टबेटन योजना के अनुसार लगभग चार करोड़ मुसलमान भारतीय सभ की, और 2 करोड़ हिन्दू तथाकथित पाकिस्तान की सीमाओं में रह जाएंगे। ये कांग्रेस के निष्पक्ष से विरोध प्रकट कर रहे थे।' जिन्ना ने माउण्टबेटन की योजना को स्वीकार किया। काजी द्वारिकादास के शब्दों में हम कह सकते हैं, "जिन्ना ने पाकिस्तान जीता नहीं, बरिब कांग्रेस

नेता गांधी, नेहरू और पटेल जिना म पाकिस्तान हार गए।”

4 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश गवर्नर म माउण्टबेटन याजना के अनुसार भारत विभाजन का विधेयक पेश किया गया और 18 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और घोषणा कर दी गई कि 15 अगस्त, 1947 को भारत को दो टुकड़ा म बांट दिया जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी।

दश का विभाजन, माउण्टबेटन प्लान के मुताबिक किया गया। इसके अनुसार नो सीमा आयोग बनाने का प्रस्ताव किया गया जिनम एक का सम्बन्ध, बंगाल विभाजन व आगाम से सिलहट जिले को अलग करने का था और दूसरे का सम्बन्ध पंजाब विभाजन से था। प्रत्येक सीमा आयोग में एन सभापति और चार सदस्य थे जिमे से दो मुस्लिम लीग के थे और दो कांग्रेस के। इन दोनों सीमा आयोगों के सभापति सर मठाकनीफ थे। दोनों आयोगों ने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सीमा का विभाजन हिन्दू अल्प सङ्घ और मुस्लिम बहु सङ्घक तथा हिन्दू बहु सङ्घक और मुस्लिम अल्प सङ्घक आदि को केन्द्र म रखकर किया।

कांग्रेस यह मानती थी कि बंगाल में 46 प्रतिशत जनता हिन्दू थी जबकि मेढाकलीफ के अनुसार सिर्फ 35 प्रतिशत जनता हिन्दू थी। पंजाब म हिन्दू बहु सङ्घक क्षेत्र की माग कांग्रेस ने सिक्खों के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा, उनके आर्थिक हित पंजाब की नहरें बांध आदि के आधार पर उठाई थी। सिख मोट गुमरी लायलपुर, मुल्तान के कुछ भागों को भी पूर्वी पंजाब म मिलाने की माग कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर मुस्लिम लीग रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर जिला के अतिरिक्त जालंधर और अम्बाला के कुछ भागों को भी पश्चिमी पंजाब में शामिल करना चाहती थी। पंजाब के इन क्षेत्रों की माग करने का, दोनों पार्टियों के पास आर्थिक आधार था। पूर्वी पंजाब की तीन नदियाँ—ब्यास, सतलुज और रावी थी, जो प्रांत के आर्थिक आधार को मजबूत करने का बहुत बड़ा साधन थी। लाहौर व शेखपुरा को पूर्वी पंजाब म शामिल न करने से, सिखा को जाधिक दृष्टि से काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इन क्षेत्रों म कृषि उत्पादन म वृद्धि के साधन बहुतायत थे।

दूसरी ओर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध व बिलोचिस्तान में हिन्दू और मुसलमान इस तरह रहते थे कि उनके बीच कोई विभाजन रेखा खीचना कठिन था। इसी तरह पंजाब के बहुसङ्घक जिलों को भी हिन्दू और मुस्लिम आदि जिलों में नहीं बांटा जा सकता। जिन जिन क्षेत्रों म इस तरह की स्थिति थी वहां की जनता से निणय लेने का अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो पाकिस्तान में रह सकती है और चाहे तो हिन्दुस्तान में।

विभाजन के समय मेना का बटवारा भी साम्प्रदायिक आधार पर किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस बात पर जोर दे रही थी कि 15 अगस्त से पहले दोनों देशों की अपनी अलग-अलग सेनाएं हों। विभाजन काउंसिल ने यह तय किया था 'सेना की मुस्लिम यूनिटें' पाकिस्तान में रहेंगी जबकि हिंदू यूनिटें हिंदुस्तान में रहेंगी और जो हिंदू सैनिक पाकिस्तान के क्षेत्रों में तैनात हैं, वे हिंदुस्तान की ओर तथा जो मुस्लिम सैनिक हिंदुस्तान के क्षेत्रों में तैनात हैं, वे पाकिस्तान की ओर खाना होंगे। भारत के अन्य क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा कि वे चाहें तो पाकिस्तान में रह सकते हैं या चाहें तो हिंदुस्तान में।

सेना के इस तरह विभाजन से दोनों सेनाएं कमजोर हो गईं क्योंकि एकदम नये सिरे से उनकी बटालियनों, रेजीमेण्ट्स प्रशिक्षण संस्थानों आदि का गठन किया गया। जिस समय मेना में विभाजन किया, उस समय सेना में 478 प्रतिशत हिंदू, 237 प्रतिशत मुस्लिम, 163 प्रतिशत सिख और 122 प्रतिशत अन्य लोग थे। ये सब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। साम्प्रदायिक आधार पर सेना का बटवारा करने से सेना के हिंदू व मुस्लिम सैनिकों में भी साम्प्रदायिकता प्रवेश कर गई थी।

विभाजन के पक्ष और विपक्ष में अनेक तकल्लिए गए। इससे पक्ष में कहा गया कि विभाजन से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ता हुआ वैमनस्य खत्म हो जाएगा तथा मुसलमानों के दिल से हिंदू राज्य का भय निकल जाएगा। यह भी कहा गया कि विभाजन से भारत के अल्पसंख्यकों की समस्याएं हमेशा के लिए हल हो जाएगी तथा भारत की रक्षा का प्रश्न भी हल हो जाएगा। लेकिन ये सभी तक अध्यावहारिक साबित हुए। विभाजन के बाद की हुई घटनाओं से पता चलता है कि न तो हिंदू मुसलमानों में वैमनस्य खत्म हुआ और न ही रक्षा के प्रश्न हल हो सके। इसके विपरीत दोनों देश एक दूसरे में सशक्त रहने लगे और दोनों ही दशों ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी प्रारम्भ की। आज भी भारतीय संघ ने अपने वार्षिक राजस्व का 54 प्रतिशत सुरक्षा पर खर्च कर रहा है और इतना ही पाकिस्तान अपने सैन्य तंत्र पर खर्च कर रहा है।

विभाजन के प्रस्ताव का विरोध न सिर्फ हिंदुओं ने बल्कि मुसलमानों ने भी किया था। इनमें जमायतुल उल्मा, जमायतुल मोमीन, अहरार राष्ट्रीय मुस्लिम दल, अखिल भारतीय शिया काफ़ेस आदि प्रमुख थे। जमायत उल्-उल्मा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। इस संस्था ने मुस्लिम लीग को चेतावनी दी थी कि यदि विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया गया तो यह मुसलमानों का तीन घुणों में बांट देगी जो विशेष रूप से उन मुसलमानों के लिए घातक होगी जो हिंदुस्तान की सीमा में



रह जाये। इन गस्या के अनुमार यदि विभाजन की माग को स्वीकार कर लिया गया तो इमम इस्लाम को फँसन म दरावट पत्न होगी। जिना का विरोध करते हुए इस गस्या ने कहा, "मि० जिना उन सात करोड मुसलमाना का मातम-उत्सव मनाने क लिए तैयार थे जो बहुतायत में हैं।"

चूकि दानो देगो को एक-दूसरे के विरोध में लडा किया गया था, इसलिए दाना देगा में निरन्तर बलह रहने लगी। देशी रियासतों म उसशनें पदा हो गई। विभाजन का सबसे बडा दुष्परिणाम यह हुआ कि दाना राष्ट्रों का आर्थिक आधार नष्ट हो गया। पाकिस्तान के क्षेत्र मुख्य रूप म कृषि के लिए फायदेमन् थे और हिन्दुस्तान की भीमाओ में व्यावहारिक रूप स सभी उद्योग थे, इसलिए दाना देशों की अर्थव्यवस्था का सतुलित विकास न हो सका।

इस प्रकार 1857 म ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हिन्दू और मुसलमानों के धम के आधार पर अलग करने की जा नीतियां निर्धारित की थी और बाद के वर्षों म जिस सुनियोजित तरीकी से इन नीतियो का विस्तार किया गया था अन्तत उसका परिणाम देश का विभाजन हुआ।

### सामाजिक आधार

1857 के विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश शासन ने एक ओर जनता पर दमन काफी तेज कर दिया और दूसरी ओर देश म प्रातिकारी शक्तिया सामने आने लगी। 1860 और 1870 के बीच प्रकाशित पुलिस की गुप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जनता में सरकार के प्रति असतोप बहुत बढ रहा था और जगह-जगह पडयत्रकारी सगठन बनने लगे थे। मिस्टर ओ० ह्यूम ने पुलिस के रिपोर्टों के आधार पर कहा था, "मुझे न तब जरा भी सदेह था और न आज है कि हम उस समय सचमुच एक बहुत ही भयानक प्राति के खतरे का मामना कर रहे थे और यह खतरा हद से ज्यादा बढ चुका है।" उन्होंने लिखा, 'ये गरीब लोग अपनी मौजूदा हालत स एकदम निराश हो गए हैं और उन्हें विश्वास हो गया है कि वह भूखी मर जाएंगे, इसलिए वे अब कुछ करना चाहते हैं। और, इस कुछ का मतलब है— हिंसा। बेशुमार रिपोर्टों म पुरानी तलवारें, भाले और बंदूकें छिपाकर रखने की बात है। यह ख्याल नहीं था कि इन सबके परिणामस्वरूप शुरू में हमारी सरकार के खिलाफ बगावत खडी हो जाएगी।"

प्रथम महायुद्ध के पश्चात देश म बहुत बडा प्रातिकारी उभार आया। 1917 की प्राति के पश्चात भारत में साम्यवादी विचारधारा के प्रचार में काफी तेजी आई जिसके फलस्वरूप व्यापक रूप से जन-आन्दोलन प्रारम्भ हुए। इन जन-आन्दोलनों से मजदूरों और किसानों में चेतना पदा हुई। 1919 में हडतालों का सिलसिला प्रारम्भ हुआ और 1920 तक पूरे देश में फल गया।

1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई जिसमें 'ट्रेड यूनियन आंदोलन' को माक्सवादी लेनिनवादी कायप्रणाली पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। भारत के कांग्रेसी नेता कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर काफी चिन्तित थे। 1929 में सरकार ने बढ़ते हुए मजदूर आंदोलन को रोकने की पूरी कोशिश की। 1929 में लेजिस्लेटिव एसेम्बली में भाषण करते हुए लार्ड एरविन ने कहा था, "कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रचार से मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है और उन्होंने ऐलान किया था कि सरकार इसे रोकने का उपाय करेगी। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् किसानों के असंतोष भी तीव्र रूप में सामने आए क्योंकि युद्ध के बाद विश्वव्यापी आर्थिक सबट से कृषि की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त आघात हुआ था। युद्ध के बाद मजदूर वर्ग भी देश की समस्त जनतांत्रिक प्रांतिकारी शक्तियों का नेतृत्व करने लगा था। इसी समय कांग्रेस ने भी पूर्ण स्वाधीनता की मांग शुरू कर दी थी। बढ़ते हुए जन-आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 'भारत रक्षा आर्डिनंस कानून' पास किया था जिसके जरिए हजारों कम्युनिस्टों और धामपथी कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया।

1947 आते आते भारत में क्रांतिकारी शक्तियां काफी मजबूत हो गई थी। बंगाल में छुटपुट विद्रोहों की अनेक घटनाएँ सामने आने लगी थी। सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती हुई तादाद से चिन्तित थी। 1947 में लोकसभा में सरकार को यह बताया गया कि 1946 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 53,700 थी और उसी वर्ष, 1950 कम्युनिस्ट कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। यह सरकारी आंकड़े थे, जबकि वास्तविक संख्या कुछ अधिक थी। 1947 में बंगाल की क्रांतिकारी शक्तियां काफी तेजी के साथ संगठित होती जा रही थी। 1947 में गृह विभाग के सचिव आई० सी० एस० अफसर श्री पोटर थे। कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव से इन्होंने तमाम प्रांतीय सरकारों (सेंट्रल प्राविंस, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब) को आगाह किया था। इन प्रांतों की सरकारों को इन्होंने एक संकूलर भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मद्रास सरकार ने कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने की व्यवस्था कर ली है और बम्बई सरकार भी बिना मुकदमा चलाए कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर सकेगी। ऐसे कदम इसलिए उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट जातकवादी तरीकों से भोली जनता को पार्टी प्रोग्राम सिखा रहे हैं और किसानों में असंतोष की भावना पैदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अनेक पार्टी सेल बना रहे हैं और सरकारी कार्यालयों से गुप्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पोटर के अनुसार स्थिति इतनी गंभीर थी कि यदि तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो इस पर नियंत्रण करना असंभव हो जाएगा। संकूलर में आगे कहा गया था कि कम्युनिस्ट, सिर्फ किसानों और मजदूरों के

सघर्ष का नेतृत्व ही नहीं करना चाहते बरन् साम्राज्यवाद के विरुद्ध व्यापक जन सघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष में कांग्रेस ने अपने चुनाव कार्यक्रम में किए गए किसी भी वायदा का पूरा नहिा किया। इतना ही नहीं, उनका अभी प्रारम्भिक कार्य भी शुरू नहीं हुआ। इसलिए कम्युनिस्टों को ब्रिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि गरीब किसानों के पक्ष में बोलने वाला कोई न हो।”

कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित थी और देख रही थी कि यदि प्रांतिकारी शक्तियाँ इसी रूपान्तर में बढ़नी रहें तो वे न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खत्म करेंगी बल्कि उनको भी खत्म कर देंगी। इसलिए दोनों पार्टियों ने प्रांतिकारी शक्तियों के हाथों में सत्ता को जाने से रोकने के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी महसूस कर रहा था कि यदि देश का विभाजन न किया गया तो संभव है देश की वामपंथी ताकतें सत्ता में आ जाएँ और यदि ऐसा होता है तो उनके हाथों से दोनों राष्ट्रों की आर्थिक पकड़ निकल जाएगी। इस पकड़ का बरकरार रखने के लिए और नाममात्र की झूठी आजादी देने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने देश का विभाजन किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग न तो वामपंथी शक्तियों के साथ समझौता कर सकी और न ही संयुक्त रूप में राष्ट्रीय स्वाधीनता की मांग अंग्रेजों के सामने रख सकी।

### आर्थिक आधार

इस विभाजन का धार्मिक, राजनैतिक आयाम के साथ-साथ आर्थिक आयाम भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। पाकिस्तान की मांग, कुछ आर्थिक मूल्यों को लेकर भी सामने आई थी। अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमान अल्पसंख्यकों से पिछड़े हुए थे। माहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि यदि पाकिस्तान नहीं दिया जाता तो भारत के तमाम मुसलमानों को कांग्रेस के अधीन रहना पड़ेगा और कांग्रेस का अर्थ है—हिंदू राज्य की स्थापना, जहाँ मुसलमानों को फलने फूलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग सामने रखी। 1941 में जिन्ना ने लीग का उद्देश्य बताते हुए कहा था, “लीग का उद्देश्य, भारत के पूर्वी पश्चिमी, और उत्तरी क्षेत्रों का वित्त, रक्षा वित्तेश, व्यापार, संचार, कस्टम, मुद्रा और विनियम के पूर्ण नियंत्रण के साथ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना है।” 1941 में रियाजुल करीम ने पाकिस्तान की मांग के आर्थिक पक्ष पर जोर देते हुए मुसलमानों से पूछा था, “क्या तुम किसी भी मूल्य पर मुसलमानों की भलाई के लिए पाकिस्तान चाहते हो? यदि किसी भी मूल्य पर चाहते हो तो कोई बात नहीं। पर यदि वास्तव में तुम

मुसलमानों की भलाई के लिए पाकिस्तान चाहते हो तो उसके आर्थिक पक्ष पर विचार करना भी बहुत जरूरी है।”

लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का बटवारा इस तरह किया था जिससे दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था पर दबाव पड़े और कोई भी देश स्वतंत्र रूप से आर्थिक विकास के माग पर आगे न बढ़ सके। जिन छ प्रांतों—सिंध, विलोचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पंजाब, बंगाल और आसाम—के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, इनकी उत्पादन क्षमता, इसके उद्योग-घरे, उनमें पाये जाने वाले खनिज पदार्थ, वहां के वन-उपवन इतने विकसित नहीं थे जितने कि भारत के क्षेत्रों में थे। अलबत्ता ये छ प्रांत कृषि के क्षेत्र में काफी आगे थे।

बंगाल में खेती योग्य भूमि बहुत अधिक थी परंतु आबादी में निरंतर वृद्धि के कारण बंगाल की उपज स्वयं बंगालियों के लिए कम पड़ती थी। मुस्लिम क्षेत्रों में खेती करने योग्य भूमि 2,39,48,462 एकड़ थी जबकि गैर-मुस्लिम क्षेत्रों में 1,11,58,587 एकड़ थी। पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए जिना के पास यह महत्त्वपूर्ण आधार था। इसके साथ ही जिना पूरे कलकत्ता को भी पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे क्योंकि बंगाल में जितने भी उद्योग घरे थे वह सब कलकत्ता के इद-गिद थे।

किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कोयला, लोहा, इस्पात, वन-उपवन आदि महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित की गईं, उनके तहत उद्योगों के लिए कच्चा माल इस तरह परस्पर बंट गए कि कोई भी दश दूसरे की उपेक्षा करके अपना पूर्ण विवास नहीं कर सकता था। दश के विभाजन से दोनों देशों का औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने देश का विभाजन इस तरह किया कि दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं छिन भिन हो जाएं और दोनों देशों की आर्थिक विकास के लिए उन पर निर्भर रहना पड़े। ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्र कर भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं में अपना नियंत्रण बरकरार रखा। 7 जून, 1947 को ब्रिटिश पत्र 'इकोनामिस्ट' माउण्टबेटन समझौते के समय लिखा था, 'यदि डोमीनियन स्टेटस को तिलाजलि नहीं दी जाती है तो हो सकता है कुछ रस्मी नाता भी कायम रह जाए और अगर कोई नया राजनैतिक रूप अपनाया गया तो ब्रिटेन और भारत के बुनियादी सामरिक तथा आर्थिक सम्बन्ध तो हर हालत में बने रहेंगे।' माउण्टबेटन की जिस योजना के आधार पर मुल्क का बटवारा किया गया था उससे भारत के सभी आर्थिक सम्बन्ध खण्ड-खण्ड हो गए और दोनों देशों को अपने आर्थिक विकास के रास्ते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

## विभाजन और साम्प्रदायिक सन्दर्भ

हिन्दुस्तान के विभाजन की प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी की गई। यह इतनी जल्दी हुआ कि जनता असमंजस में रह गई। इससे पहले कि व्यक्ति अपने परिवार के भविष्य के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से कोई निष्पत्ति ले पाता उसे जबर-दस्ती एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर फेंक दिया गया था। भारत का जब बर्मा से अलग करके, सिंध और उड़ीसा प्रांत बनाए गए थे तब इसमें अधिक समय लगा था। बर्मा को अलग करने में तीन वर्ष लगे थे। सिंध को बम्बई से अलग करने में दो वर्ष और उड़ीसा को बिहार से अलग करने में दो वर्ष लगे थे लेकिन पाकिस्तान बनाने में सिर्फ दो महीने 12 दिन का समय दिया गया। 3 जून, 1947 को 'माउण्टबेटन योजना' स्वीकार की गई और 15 अगस्त, 1947 को दोनों अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई। बटवारे की कार्यवाही इतने कम समय में पूरी की गई जिससे दोनों देशों को व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान और हिन्दुस्तान से जनता के तबादले के कारण दोनों देशों के आर्थिक विकास में गम्भीर रुकावटें पैदा हुईं। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए कुशल कारीगर, महन्ती किसान, उपजाऊ भूमि और सुव्यवस्थित योजना नितांत अनिवार्य हैं। और यह सब शान्तिपूर्ण वातावरण में होना आवश्यक है। पाकिस्तान, फ़िटर और सिंध में ऊंचे पदों पर हिन्दू अधिकारी थे। इजीनियर और ऊंची ऊंची टेक्निकल (औद्योगिक) जगहों पर भी हिन्दू अधिक थे। मुसलमान अच्छे कारीगर, मैकेनिक, फायरमैन और कुशल मजदूर वर्ग के श्रेणी में थे। पाकिस्तान में 70 प्रतिशत हिन्दू और सिख बड़े बड़े ऊंचे टेक्निकल पदों पर थे। इन हिन्दुओं और सिखों के एकाएक चले आने से पाकिस्तान को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।

इसी प्रकार पश्चिमी पंजाब, सीमा प्रांत जीर विलोचिस्तान में हिन्दू और सिख बल बाराबरी चलाते थे। पलो और मेयो का व्यापार करते थे। गोविन्द सहाय के अनुसार, इन दोनों का लगभग 70 प्रतिशत दौलत और व्यापार इन्हीं

हिंदू और सिखों के हाथ में था। यहाँ की बीमा कम्पनियों, बैंको, मिल, कारखानों सभी में उनका प्रभुत्व था। इनके पाकिस्तान से हटते ही पाकिस्तान का आर्थिक ढांचा ढगमगा गया जिससे पाकिस्तान को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तानी क्षेत्रों में अधिकांश व्यापारी हिंदू और सिख थे। उनके वहाँ से आने के कारण मजदूर और कारीगर ही रह गए थे जिनमें कुम्हार, तेली, नालबंद, लोहार, राज, खेतों में काम करने वाले मजदूर और भिखारी थे। दूसरी ओर पूर्वी पंजाब से मुसलमान कारीगरों के पाकिस्तान जाने के कारण और हिंदू, सिख व्यापारियों के पूर्वी पंजाब में आने के कारण वहाँ कुशल कारीगरों का नितान्त अभाव हो गया, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। जो चीजें पाकिस्तान में पदा होती थी, विश्व बाजार में उसका मूल्य गिरा। पाकिस्तानी इलाकों में रुई की पैदावार अधिक होती थी और उसकी खपत पूर्वी भाग में होती थी, जिससे हजारों मुस्लिम कारीगर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन दोनों देशों में व्यापार सम्बन्ध खत्म हो जाने के कारण वहाँ की रुई बेकार हो गई। यही हालत मेवा, सरदा, बादाम, अमूर के व्यापारियों की थी। वहाँ मेवा काफी सस्ता था और हजारों खानदान जिनका जीवन यापन इसी से होता था, उस समय परेशान हो गए।

वस्तुतः हिन्दुस्तान से जो मुस्लिम शरणार्थी पाकिस्तानी इलाकों में गए वे सम्पन्न इलाकों से गरीब और पिछड़े हुए इलाकों में गए। इसका उनकी मानसिक स्थिति पर अत्यधिक गम्भीर प्रभाव पड़ा। लोग ने उनकी जो सम्बन्धों दिखाए थे वे वहाँ जाते ही खत्म हो गए, जिसके कारण पाकिस्तान की सरकार और शरणार्थियों में संघर्ष बढ़ता गया। गोविंद सहाय ने इस सदम में लिखा है, 'मरो या मर जाओ' के नारे लगाकर सरकारी इमारतों पर हमला बोल दिया गया और पाकिस्तान सरकार को गोली चलानी पड़ी। इसी मन स्थिति के कारण यहाँ से जान वाले मुस्लिम शरणार्थियों ने वहाँ से आने वाले सम्पन्न हिंदू और सिखों पर घातक हमले किए, सामूहिक लूटमार की। इन आक्रमणों के पीछे हिन्दुओं की जायदाद लूटने की मशा काम कर रही थी और इसी नीयत के कारण साम्प्रदायिक कत्ल हुए, रेलगाड़ियों पर सामूहिक आक्रमण किए गए।

इस लूटमार का एक कारण यह भी था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के शरणार्थियों को चहूँ काम नहीं मिल सका जिसके लिए वे योग्य थे। अमृतसर में दरियों की फव्वरिया थी, उनमें काम करने वाले मजदूरों के पाकिस्तान जाने से एक ओर तो उन्हें पाकिस्तान में उचित काम नहीं मिल सका और दूसरी ओर योग्य कारीगरों के अभाव में अमृतसर में दरियों के व्यापार पर गम्भीर असर

पडा। यही स्थिति मजदूरो, फिटरो, पादरियो और डाइवरो की थी जो रेलो पर काम करना चाहते थे परंतु पाकिस्तान मे रेलो और पत्रियो को चलने के लिए न तो कोयला था और न ही पेट्रोल। पाकिस्तान की शरणार्थी समस्या पर वहाँ के समाचार पत्र ने लिखा था—जहा 60 लाख से अधिक मुसलमान पाकिस्तान मे आए हैं, वहा हम 6 मुस्लिम बलक भी अभी तक नही मिल पाये हैं जो लाहौर के बको के लेजरा का चाज लेकर कम से-कम दिन मे दो घण्टे ही अपने बको की चला सकें। लाखों कसाई पूर्वी पजाब से पाकिस्तान पहुँच गए हैं जिन्होंने प्रारम्भ मे अपने काम को चलाने के लिए गोश्त को काफी सस्ता कर दिया और आइसक्रीम और फालूदा के बजाय प्रारम्भ मे कबाब की काफी धूमधाम रही। इससे पाकिस्तान की सरकार को जानवरो की बमी के कारण न केवल घी और दूध की बल्कि खेती के लिए बैलो और कटरो की भी बमी पड गई।

1948 के अंत तक जनसंख्या का बटवारा लगभग पूरा हो चुका था परंतु इस बटवारे के कारण दोनो देशों के समक्ष अनेक समस्याएँ पैदा हो गईं। पश्चिमी पजाब से लगभग साठे तीन लाख कृषक परिवारों को पूर्वी पजाब सरकार ने, मुसलमानों द्वारा छोड़े हुए गाँवों में बसाया। जो हिंदू व सिख पश्चिमी पजाब से पूर्वी पजाब आए, उनकी सम्पत्ति का नुकसान अधिक हुआ। उस नुकसान की पूर्ति यहाँ भारत में नहीं मिली। औसतन दस एकड़ की बजाय साढ़े सात एकड़ जमीन उन्हें मिली। डा० फौजा सिंह ने अपने लेख 'पजाब बटवारा' में इन आँकड़ों का विस्तार से वर्णन किया है। इसी प्रकार पश्चिमी पजाब में हिंदू व सिख लगभग 51000 दुकानें व व्यापारिक सस्था छोड़कर आए थे जबकि मुसलमान भारत में केवल 170 0 दुकानें छोड़कर गए।

इस प्रकार जनता की अदला बदली के कारण दोनों देशों को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पडा। पाकिस्तान में हिंदू यूनियन और अन्य रियासतों से लगभग 64 65 लाख शरणार्थी गए और हिंदू यूनियन में 55 लाख शरणार्थी आए। इस विधान सस्था को, दोनों देशों की सरकारों की, रोजगार दिलाने और फिर से बसाने की व्यवस्था करनी थी। इस समस्या का कोई भी तत्कालीन हल नहीं निकल पाया लिहाजा व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक दंगे व लूटपाट की घटनाएँ हुईं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा व अकाली दल ने योजनाबद्ध तरीकों से दंगों को संचालित किया। मा० तारासिंह के अदालत सिलों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदुओं ने मिलकर कायंत्रम बनाया जिसके तहत 11-12 अगस्त की मध्य रात्रि को अपने कायंत्रम का पहला चरण पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को सिद्दवाहा के निकट पकड़ कर पूरा किया। इस समय गाँव गाँव में हथियार बनाने की भट्टियाँ चलती थीं। ब्रिटिश अफसरों के

अतिरिक्त मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयं सचक सघ के नेताओ ने भी हिंदू व मुसलमाना के लिए हथियारा का प्रबन्ध किया ।

इन तमाम स्थितियो से निपटने के लिए हिंदुस्तान व पाकिस्तान की सरकारों ने कोई योजना नही बनाई । 6 दिसम्बर, 1947 को दोनो देशों की सरकारो ने माच, 1947 के पश्चात किए गए घम परिवतन को मायतान देने का निणय किया जिसके फलस्वरूप लोगो को अपनी इच्छा के विपरीत नये देश में लौटने के लिए बाध्य हाना पडा ।

इसी के समानांतर मुस्लिम लीग ने इस्लाम की आड लेकर घमभीष जनता को उत्तेजित करने का काय किया और उनके जेहन म यह बिठाने की कोशिश की कि यदि पाकिस्तान न बना तो हिंदू हमे खा जायेंगे । इसके साथ-साथ हिंदुवादी सस्थाओ न अखण्ड व अविभाजित भारत की मांग की । जब भारत विभाजित हो गया तो हिंदुवादी सस्थाओ ने यह प्रचार किया कि भारत की पवित्र भूमि पर मुसलमानो को रहने का कोई अधिकार नही है । भारतवर्ष पूरणरूप से हिंदुओ का है और इस पर केवल हिंदुओ को ही राज्य करने का अधिकार है । अतः शस्त्र के बल स पाकिस्तान के अस्तित्व को खत्म कर अखण्ड भारतवर्ष स्थापित करना है । उधर मुस्लिम समुदाय मे यह भावना जोर पकड रही थी कि मुसलमान सदियो तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं और इनसे ही अंग्रेजा ने राज्य छीना था इसलिए अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद मुस्लिम राज्य कायम करना उनका कानूनी हक है । इस सोच की वजह से भी साम्प्रदायिक दगो म तीव्रता आई ।

जब दग समाप्त हो गए तो एक बात साफतौर पर उभरकर सामने आई कि दगो का गिकार खात पीते घर के लोग नही हुए बल्कि वे लोग हुए जो गरीब थे, शापित थे, असहाय थे और छोटा मोटा काम धधा करते थे । प्रमुख रूप से निम्न-मध्यवर्गीय व्यक्ति ही विभाजन की विभीषिका का शिकार हुआ । उच्चवर्गीय या सम्पन्न घराने के लाग हवाई जहाज के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सुरक्षित इलाको म पहुच गए । उनके परिवार का एक भी व्यक्ति बाहत नही हुआ ।

15 अगस्त के बाद पजाब मे व्यवस्था बनाए रखने के लिए माउण्टबेटन ने 5500 आन्मियों की एक विनेप सेना 'पजाब सीमा सेना' स्थापित की जिसका नेतृत्व एक अंग्रेज मेजर जनरल टी० डब्ल्यू रीस को सौंपा गया तथा जिनमे अधिकाश गोरखा सनिक सम्मिलित किए गए । माउण्टबेटन ने दगो से निपटने की जो भी घोषणा की थी वह सब हवाई साबित हुई ।

विभाजन के दौरान जितने न्यापक स्तर पर जनता की अदला बदली की गई, उसकी मिसाल विश्व के अन्य किसी देश मे देखने को नही मिलती । इस



अदला बदली के दौरान स्त्रियों को अत्यंत वीभत्स यत्रणा भोगनी पडी। दोनों सम्प्रदायों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया गया, उन्हें अपमानित और प्रताडित किया गया, तथा नंगा करके उनके जलूस निकाले गए। एक देश दूसरे देश के साथ भयकर कटुता रखता है लेकिन एक देश व लोग दूसरे देश की स्त्रियों के साथ ऐसा घृणात्मक व्यवहार नहीं करते जैसा विभाजन के दौरान देखने को मिला। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने बड़ी ही शीघ्रता से जनता की क्रांतिकारी शक्ति को कुण्ठित किया और जो हिंसा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ होनी थी वह आपस में होने लगी, जिनसे दोनों सम्प्रदायों की स्त्रियों की दगा अत्यधिक दयनीय हुई। स्त्रियों के अंग अंग करके उनके शरीर पर विभिन्न घुणित नारे लिखकर उन्हें एक देश से दूसरे देश में हाक दिया गया। जो स्त्रियां दुर्भाग्यवश अपने परिवार के साथ न जा सकी उनके साथ दूसरे सम्प्रदाय वालों ने अमानवीय व्यवहार किया और जो स्त्रियां किसी-न किसी तरह अपने परिवार के बीच पहुँची, परिवार द्वारा ग्राह्य नहीं हुई। वे लाञ्छित और प्रताडित ही हुई।

### साम्प्रदायिक दंगे

कांग्रेस और लीग की महासमितियों ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया था पर सामान्य जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया था। विभाजन के अडतालीस घण्टे बाद हिंदू और मुसलमानों का लेकर भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों का प्रारम्भ पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में भयकर हिंसा के साथ हुआ। दोनों सम्प्रदाय की भीड़ ने एक दूसरे पर आक्रमण किया। निरीह आदमियों, स्त्रियों, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। स्त्रियों को नीलाम किया गया, उन पर पाशिवक अत्याचार किए गए। इस प्रकार की घटनाओं का शिकार हान वाले लोगों के निश्चित आकड़े तो नहीं एकत्रित किए जा सकते लेकिन फिर भी नेहरू के घनिष्ठ मित्र और उनकी जीवनी लेखक लेनाड मोरले के अनुसार सिर्फ पंजाब में 6 लाख लोग मारे गए एक करोड़ चालीस लाख शरणार्थी बना दिए गए और एक लाख युवतियों का अपहरण किया गया। यह सख्या मिर्फ पंजाब की है। दोनों देशों में विभाजन से प्रभावित लोगों की सख्या कितनी होगी इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

दिल्ली में साम्प्रदायिकता अपने वीभत्स रूप में प्रकट हुई। इन दंगों को बंद कराने के लिए गांधी जी एक ओर देश की जनता से अपील कर रहे थे तो दूसरी ओर आर० एस० एम० वाले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए म्लेच्छों का अपना देश से बाहर निकालने का आह्वान कर रहे थे। इनकी सहायता कुछ पूज्यपति, जमींदार व देशी नरेश कर रहे थे, जिसके कारण दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में भयानक नरसंहार हुआ।

दूसरी ओर पूर्वी और पश्चिमी पंजाब की सीमाओं पर अल्प-संख्यकों का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया था। समाज विरोधी तत्व, समाज के विभिन्न भागों में क्षीतयुद्धीय स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। शरणार्थियों की समस्याओं को साम्प्रदायिक तनाव को कम करने के लिए तत्कालीन गृहमंत्री काई भी ठोस बंदम उठा सकने में असमर्थ थे। गांधी जी दिल्ली के साम्प्रदायिक तनाव को लेकर चिंतित थे। इन दंगों को बंद कराने के लिए व शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए गांधी जी हिंदू और मुसलमानों से संयुक्त अपील कर रहे थे और इसके लिए वे अनशन पर भी बैठने के लिए तैयार थे लेकिन दूसरी ओर आर० एम० एस० जैसी पार्टियों ने गांधी जी को आगाह किया था कि यदि उन्होंने अपनी कायवाही बंद नहीं की तो उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अनेक नेताओं के आग्रह करने पर और दिल्ली में हिंदू-मुस्लिम एकता के कुछ प्रयत्नों को देखकर गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त किया था। वे अनशन समाप्त करने के बाद बिड़ला हाउस में प्राथना सभा के लिए जा रहे थे कि उनकी हत्या के प्रयास में, उन पर बम फेंका गया। पुलिस जांच करने के पश्चात् भी यह पता न लगा सकी कि उन पर बम किन लोगों ने फेंका। इस घटना के बावजूद दिल्ली में गांधी जी की रक्षा के लिए कोई ठोस बंदम नहीं उठाया गया, यदि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई होती तो नाथूराम गोडसे हथियारों सहित उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। 30 जनवरी, 1948 को ज्यो ही गांधी जी प्राथना सभा में आए त्यों ही नाथूराम गोडसे उठ खड़ा हुआ, उसने कहा—आज आपको आने में बहुत देरी हुई, इससे पहले गांधी जी कुछ कहते नाथूराम गोड ने तीन गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी।

बाद की जांच-पड़ताल से यह मिथ्य हो गया था कि नाथूराम का सम्बंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था और गांधी जी की हत्या एक सुनिश्चित योजना थी।

### साम्प्रदायिक दंगों के आधार

विभाजन के सदभ में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उनके मूल में न सिर्फ राजनैतिक कारण थे बल्कि अनेक आर्थिक और सामाजिक कारण भी थे। जो धार्मिक एवं राजनैतिक कारणों से अधिक गहन और तीव्र थे। इस समय होने वाले विभिन्न दंगों ने साम्प्रदायिकता का जामा पहन लिया था। ये दंगे दो धर्मों के लोगों में नहीं बल्कि दो वर्गों में हुए। जैसा कि के० वी० कृष्णा ने इस सदभ में लिखा है, "साम्प्रदायिक प्रश्न का धार्मिक समस्याओं से कोई सम्बंध नहीं है, उसका सम्बंध है—लाभ, लूट एवं प्रतिशत के अनुग्रह एवं पक्षों से। साम्प्रदायिक प्रश्न साधारणतः विभिन्न मतों के पेशेवर वर्गों के अलग-अलग तंत्रों की आपसी

लड़ाई का प्रश्न है। इसी प्रकार कुछ और सघप भी थे जो मूल रूप से आर्थिक थे लेकिन उन्हें साम्प्रदायिक रूप दे दिया गया। सामान्यतः किसान मुसलमान थे और जमींदार हिन्दू। वही-वही किसान हिन्दू थे और जमींदार मुसलमान। उनका यह सघप शोषण और शोषितों का सघप था लेकिन इन सघपों को हमेशा हिन्दू मुस्लिम सघप के रूप में देखा गया।

अपनी पुस्तक 'प्राबलम आफ माइनरटीज' में के० वी० कृष्णा ने इन सारे सघपों का निम्न वर्णन प्रस्तुत किया है, विभिन्न मतों और सम्प्रदायों के पेशेवर वर्गों में सघप है। हिन्दू पेशेवर वर्गों की तुलना में मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और अछूत पेशेवर वर्ग, शैक्षिक, आर्थिक और राजनतिक दृष्टि से पीछे थे। इस सघर्ष ने अल्पसंख्यकों या निर्वाचक ईसाइया की समस्या का नाम इस्लियार कर लिया है। यह सघप विभिन्न मतों, सम्प्रदायों के वाणिज्यिक, औद्योगिक और बनिया व्यापारी वर्गों में फैला हुआ है। हिन्दू सूदखोर और मुसलमान कजखोर, हिन्दू जमींदार, और मुसलमान किसान, हिन्दू और मुसलमान सूदखार, हिन्दू और मुसलमान जमींदार इनके सघप भी इसी श्रेणी में आते हैं।

इन बड़े बड़े हिन्दू और मुस्लिम सामंता ने, श्रमिक वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति सचेत न होने देने के लिए तथा साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए आर० एस० एस० और मुस्लिम नेशन गाड की धन आदि से सहायता की। पंजाब में हिन्दू व सिख सामंतों और व्यापारियों की अधिकता थी वहा मुस्लिम सामंत थे लेकिन उनकी शक्ति बहुत कम थी। हिन्दू व सिखा का उद्योग व्यापार, व बैंकिंग में बड़ा हिस्सा था। लाहौर में 186 कारखानों में से 108 के मालिक गर मुस्लिम थे। वे मुसलमानों में आठ गुना अधिक बिक्री कर लेते थे व व्यापार, वक व्यापारिक संस्थाओं, बीमा कंपनियों और औद्योगिक संस्थाओं में उनका हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक था। पूरे पंजाब में, सभी औद्योगिक संस्थानों में गर मुस्लिम, आधे से अधिक के मालिक थे। पंजाब के केन्द्रीय जिलों में सिख सबसे बड़े भू स्वामी थे। लाहौर डिवीजन में समूचे भू कर का 46 प्रतिशत हिस्सा केवल सिख दत्त थे। पंजाब में खेती के पश्चात महाजनी सबसे महत्वपूर्ण काम था। महाजनी का काम मुख्यतः हिन्दू व सिखों के हाथ में था। पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम किसान मुल्तान व रावलपिंडी के हिन्दुओं व सिखा के भारी श्रेणी थे। मुसलमानों की जनसंख्या भी उनकी आर्थिक विपन्नता की प्रकट करती थी। मुस्लिम जनसंख्या का 1/3 हिस्सा वही भी स्थिर क्रम से आवाद नहीं था तथा उनमें फकीर, जुलाहे, शपेर, कुम्हार, बर्बई, नाई, लुहार, घोषी, कसाई, मिरासी आदि शामिल थे।

जब समार में आर्थिक विपन्नता हो तब वहा पर होन वाले दंगे साम्प्रदायिक नहीं हो सकते। पंजाब में दंगा की शुरुआत तब हुई जब मुसलमानों द्वारा हिन्दू

व्यापारियों की सम्पत्ति नष्ट की गई। प्रतिहिमा में सम्पन्न हिन्दुओं व सिखों ने मुसलमानों की हत्याएँ की। इस प्रकार की घटनाओं से आर्थिक असमानता की घणा उदघाटित होती है। ऐसी स्थिति में गरीब लोग सम्पन्न लोगों की सम्पत्ति नष्ट करते हैं और सम्पन्न लोग गरीब लोगों की हत्याएँ करते हैं। ये स्थितियाँ न सिर्फ पंजाब में बल्कि भारत के उत्तर-पश्चिम भागों में भी थीं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से, हिन्दू-मुस्लिम तनाव के कारणों पर शोध करते हुए, बल्यु इरविन ने लिखा है—उत्तर-पश्चिम भारत में हिन्दू जागीरदार थे और मुसलमान किसान थे। उत्तर-पूर्वी भारत में हिन्दू जमींदार थे और मुसलमान उनके टैनेट (काश्तकार)। इसी तरह दुकानदार, व्यापार करने वाले और बड़ी-बड़ी नौकरियों पर हिन्दू थे जबकि मुसलमान दस्तकार, मजदूर और किसान थे। जब मुसलमान किसी को रुपया उधार देते थे तो उनसे ब्याज नहीं लेते थे क्योंकि कुरान में ब्याज लेना वर्जित है। लेकिन जहाँ यही मुसलमान हिन्दू या बनिए से या हिन्दू द्वारा संचालित बक से रुपया उधार लेते थे तो उन्हें ब्याज भी देना पड़ता था। हिन्दुओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक थी। गरीब होने के कारण मुसलमान उस दर से रुपया वापस नहीं कर पाते थे जिसके कारण साम्प्रदायिक दंगे होते थे। लाहौर की सस्था अहमदिया अजुमन ए हस्ती ने एक पर्चा निकाला था जिसमें हिन्दू बनियों द्वारा मुसलमानों से लिए गए कज के बारे में बताया गया था। इस पर्चे में बताया गया था कि गरीबी मुसलमानों का स्थायी लक्षण बन गई है। शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जो हिन्दू बनिया से रुपया न उधार लेता हो। दिन-प्रतिदिन मुसलमानों की चल सम्पत्ति हिन्दुओं के हाथों में जा रही है और जो भी मुसलमान कमाते हैं उससे हिन्दू समुदाय मजबूत हो रहा है। पंजाब के मुसलमान प्रतिवर्ष 50,00,000 रुपए कमाते हैं जिसमें वे ब्याज के रूप में अपनी कामई का आध्या 2,50,00,000 रुपए हिन्दू बनियों को दे देते हैं। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी हम कमाते हैं वह सब हिन्दुओं के पास चला जाता है और भारतवर्ष में हमारी स्थिति दास जसी हाकर रह गई है। अपने द्वारा कमाई गई अधिकांश सम्पत्ति को हिन्दुओं के हाथों में जाते देखकर मुसलमानों में हिन्दुओं के प्रति स्थायी घणा हो गई। ये घणा साम्प्रदायिक दंगों के दौरान हिंसा के रूप में प्रकट हुई।

विभाजन के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों के मूल में मुसलमानों की गरीबी और हिन्दुओं की जागीरदारी जिम्मेदार थी। न सिर्फ दिल्ली में वरन् लाहौर, अमृतसर में मुसलमान शहरों की आर्थिक व्यवस्था के आधार थे। इन मुसलमानों के पास दस्तकार उद्योग थे। ये सोने चाँदी के आभूषणों को ठीक करते थे और जूते बनाते थे। इनमें दरजी, बडई, राजगीर, कित्तारों पर जिल्द चढ़ाने वाले, लिथोग्रेस मशीन पर काम करने वाले, जुलाहे, नाई आदि थे। जब यह

दिल्ली छोड़कर जाने लगे तो यहाँ के हिंदुओं को यह एहसास हाँसता था कि इन लोगों के बिना हमारा जीवन डूबर हो जाएगा। यदि ये मुसलमान दिल्ली से चले जाते हैं तो जलस के व्यापार करने वाला के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए एक हिंदू कॉर्पोरेशन व्यापारी ने मुसलमानों को यह सलाह दी थी कि वे पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिलें और यह माग रखें कि उन्हें असह्य वसाया जाए और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाए और यदि ऐसा नहीं होता तो उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। यस्तुत मुसलमान शहर के प्रमुख उद्योगों में छोटे स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। हिंदुस्तान में उन्हें अपनी सुरक्षा नहीं दिमाई दे रही थी। लकिन वे पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके जाने में उनके व्यवसाय पर असर पड सकता था। हिंदू-मुसलमानों की यह टकराहट दगों के रूप में सामने आई।

हिंदू मुस्लिम दगों के नाबिक कारणों के साथ साथ कुछ धार्मिक और सामाजिक कारण भी थे। सर लिफोर्ड मंगगायडट ने हिंदू मुस्लिम दगों के कारणों का पता हिंदुओं और मुसलमानों से लगाया, उन्होंने इन दगों के भिन्न-भिन्न कारण बताए। गाय और सूअर को लेकर विभाजन के दौरान और उससे पहले भी अनेक हिंदू मुस्लिम दगे हुए। मुसलमान गाय का इसलिए खाते हैं क्योंकि यह बकरी से सस्ती होती है। मुसलमानों और हिंदुओं ने मंगगायडट का दगों के निम्नलिखित कारण बताए—

- 1 हम मुसलमान, हिंदुओं से घणा करते हैं क्योंकि हिंदू अनेक देवताओं की उपासना करते हैं और हम लोग एक ईश्वर को मानते हैं।
- 2 हम लोगों को गाय का मास खाना चाहिए ताकि हम अधिक बहादुर और मजबूत बन सकें।
- 3 मुसलमान नमाज में किसी भी किस्म की आवाज (शोर) पसंद नहीं करने (हिंदू मुस्लिम दगों में हम पहलू ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। सामाजिक हिंदुओं और मुसलमानों की बदनामी का समय एक ही होता है। मुस्लिम शासक शासकत्व में नमाज पढते हैं जबकि हिंदुओं की भारती में शख, घटो का बजना अनिवाय समझा जाता है।) इस कारण भी अनेक साम्प्रदायिक दगे हुए।
- 4 सभी मुसलमान यह विश्वास करते हैं कि यदि धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागेंगे तो वे सीधे स्वर्ग में जाएंगे।
- 5 हमारे धार्मिक नेता अनिश्चित हैं जिसके फलस्वरूप ये दगे होते हैं।
- 6 अधिकांश दगे अफवाहों से शुरू होते हैं।
- 7 हमारे स्कूलों में शिक्षा साम्प्रदायिक दग से दी जाती है।
- 8 हिंदू मुस्लिम पत्रिकाएँ तथापि का तांड मरोड कर पेश करती हैं जिससे दगे

प्रारम्भ होते हैं।

इन तमाम कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक सामाजिक और धार्मिक कारण थे। इनमें से कुछ कारण ऐसे थे जो जान-बूझ कर पैदा किए गए थे और कुछ कारण तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने से पैदा हो गए थे। जहाँ तक गाय का प्रश्न है हिन्दू गाय की पूजा करते हैं जबकि मुसलमान गाय का मांस खाते हैं क्योंकि गाय का मांस पौष्टिक और मस्ता होता है। हिन्दू गाय की पूजा कैसे करने लगे इसके बारे में फूलर (सर बम्पफेल्ड फूलर, इम्परर आफ इण्डिया) ने लिखा है, 'वैदिक साहित्य में गाय की पूजा करने का कोई भी संकेत नहीं मिलता। उनके विचारानुसार ब्राह्मणों ने अपना महत्त्व प्रतिपादित करने के लिए इसकी पूजा करवाना प्रारम्भ की होगी। पुराणों में ब्राह्मण को गाय भेंट करने के अनेक सदम मिलते हैं। उसमें गाय की अलग से स्तुति भी की गई है। चूँकि पुराणों में इसका सम्बन्ध ब्राह्मणों से जोड़ा गया, इसलिए गाय को भी व दनीय माना जान लगा।'

हिन्दुओं में निम्न वर्ग के लोग विदोषत चमार, डोम आदि सूअर रखते थे। खाने के साथ-साथ योरोप के देशों में इसका निर्यात भी होता था। निम्न जाति के ये लोग 'पिगरी' (सूअर पालने का स्थान) भी रखते थे। इसके विपरीत मुसलमानों के धर्म में सूअर का स्पश भी मना था। हिन्दुओं द्वारा सूअर को रखने से भी दगे प्रारम्भ होते थे। सामान्यतः यह देखा गया कि जब भी कोई हिन्दू-मुस्लिम दगा हुआ तब या तो मस्जिद में या किसी अमीर मुसलमान के घर सूअर की टांग या उसके शरीर का कोई भाग पाया गया।

विभाजन के दौरान हुए साम्प्रदायिक दगों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ, हिन्दू महासभा व मुस्लिम नेशनल गाठ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन संस्थाओं का चरित्र निहायत प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक रहा। हिन्दुस्तान से मुसलमानों को बाहर निकालने का सबक आर० एस० एस० वालों ने फासिस्ट जर्मनी से ही सीखा था। हमारी राष्ट्रीयता में गुरु गोलवरकर ने लिखा था कि 'जमन जाति का स्वाभिमान आज चर्चा का मुख्य विषय हो गया है। इन्होंने जाति और सस्कृति की शुद्धता की रक्षा हेतु अनिवाय जाति गहूदियों के निर्वासन द्वारा ससार को विक्षुब्ध कर दिया है। और यह भी दिखला दिया है कि मौलिक विभिन्नताओं के हाते हुए जातियों और सस्कृतियों का सम्पूर्ण भाव से मिलकर एक ही जाना कितना असम्भव है। हिन्दुस्तान में हमारे सीखने और लाभ उठाने के लिए यह एक अच्छा पाठ है। विभाजन के दौरान इसी सिद्धांत को केंद्र में रखकर मुसलमानों को खदेड़ा गया। प्रचार के सभी साधना में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ ने घृणा का सहारा लिया। गुरु गोलवरकर ने अपनी पुस्तक में मुसलमानों का हमेशा शत्रु कहकर पुकारा। इनकी सभ्यता को भ्रष्ट सभ्यता का नाम

दिया। कपूर कमीशन (जिसकी नियुक्ति दगो की जांच के बारे में हुई थी) ने गवाहियाँ के आधार पर सकेत किया कि साम्प्रदायिक हत्याओं में आर० एस० एस० का हाथ रहा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और मुस्लिम नेशनल गार्ड की तरह हिंदू महासभा ने भी साम्प्रदायिकता को बढ़ाने में सहयोग दिया। इस सभी ने घोषणा की थी कि भारत से मुसलमानों और ईसाइयों को बाहर निकालकर हिंदू राज्य की स्थापना करना उसकी नीति है।

इस प्रकार विभाजन के दौरान साम्प्रदायिक दंगे विभिन्न आर्थिक राजनैतिक-सामाजिक कारणों से हुए हैं और सुनियोजित तरीके से देश में ऐसी परिस्थितियाँ तैयार की गईं जिसे साम्प्रदायिक दंगा को बढ़ाने में मदद मिलती।

## हिन्दी उपन्यास विभाजन युगीन साम्प्रदायिकता की अभिव्यक्ति

विभाजन से सम्बन्धित हिन्दी उपन्यास, विभाजन से उत्पन्न समस्याओं को, सामाजिक चेतना एवं व्यक्ति की मनोदशा को पूरा गहराई के साथ प्रस्तुत करते हैं। इनका विवेचन करने में उपन्यासकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लेते हैं और दगों के दौरान साम्प्रदायिकता फैलाने वाली शक्तियों के चरित्र को उदघाटित करते हैं। यह उपन्यास-साहित्य उन शक्तियों के निजी स्वाध को भी उदघाटित करते हैं, जो देश की प्रगति के रास्ते में रोड़ा अटकाकर विकास के मार्ग को अवरोध करते हैं।

ये उपन्यास विभाजन की राजनीति का तीव्र विरोध करते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि देश की जनता ने देश का विभाजन स्वीकार नहीं किया। विभाजन की स्वीकृत कांग्रेस और मुस्लिम लीग की उच्च स्तरीय बैठकों तक ही सीमित रह गई, लेकिन इस स्वीकृति का सबसे बड़ा मूल्य देश की जनता को चुभाना पड़ा जो पाकिस्तान का अध बिल्कुल नहीं समझती थी। ये उपन्यास इस सदर्भ में उनकी पीड़ा को और इस पीड़ा के समय विकसित नई मानसिकता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

ये उपन्यास शरणार्थियों की समस्याओं को, उनकी मनोदशा को तथा जीवन-व्यापार को अपनी समग्रता के साथ उदघाटित करते हैं। शरणार्थियों की सबसे बड़ी विडम्बना तो यह रही कि एक तरफ तो वे अपने देश से निर्वासित कर दिए गए तो दूसरी ओर जिस जगह वे गए वहाँ के निवासियों से उन्हें उपेक्षा और तिरस्कार ही मिला। नये स्थान पर इन शरणार्थियों को सरकार की दुर्लभ-मुल नीतियों पर व स्थानीय लोगों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में शरणार्थी अधिक समय तक सरकार पर आश्रित नहीं रहे और न ही अपनी दयनीय स्थिति का दोष अपने भाग्य को दिया करने कठिन परिश्रम से स्वयं को समाज में रहने योग्य बनाया। शरणार्थियों के इन सदर्भों को ये उपन्यास किसी-



न किसी रूप में अभिव्यक्ति देते हैं। विभाजन से यद्यपि समाज में अनेक समस्याएँ पैदा हुईं, लेकिन इसके कुछ स्वस्थ परिणाम भी सामने आए। जनता की अदला-बदली से समाज में नई चेतना विकसित हुई व निवासिता में शिक्षित होने की भावना का विकास हुआ। ये भावना स्त्रियों में विशेष रूप से विकसित हुईं क्योंकि जो पीड़ा उन्हें भोगनी पड़ी वह पुरुषों का नहीं भोगनी पड़ी। इसलिए विस्थापित स्त्रियों ने स्वावलम्बी बनना चाहा जिसके फलस्वरूप अनेक स्त्रियाँ स्कूल-कालेजों में जाने लगीं और अनेक स्त्रियाँ दफतरो में पुरुषों के सामने बैठकर काम करने लगीं। इस विभाजन से सस्कारों में बुनियादी परिवर्तन हुए। विभाजन की विभीषका से अनेक पुरातन और रूढ़िवादी सस्कारों का अंत हो गया।

### झूठा सच

यशपाल जी का 'झूठा सच' विभाजन के सदम में लिखा गया एक विशिष्ट उपन्यास है। इसमें लेखक ने 1942 से लेकर 1957 तक की घटनाओं को काल्पनिक रंग देकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया में वे देश-विभाजन की पृष्ठभूमि में कथा का प्रारम्भ करते हैं और विभाजन से उत्पन्न नवीन संवेदनाएँ और सामाजिक आर्थिक संकटों से गुजरते हुए 1957 के आम चुनाव से कथा का अंत करते हैं। विभाजन की सारी कटुता निम्न मध्यवर्गीय परिवारों को व आर्थिक रूप से पिछड़े जन-समुदायों को भोगनी पड़ी इसलिए उपन्यास में इन्हीं लोगों की कथा कही गई है।

लेखक ने भोला पांडे की गली में रहने वाले निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के जीवन चरित्रों को, उनकी संवेदना, उनके आवरण और उनके सामाजिक संस्कारों को विभाजन के सदम में देखा है। इस गली के तमाम चरित्र तारा, पुरी, शीला, रतन अपने-आसपास के परिवेश से संघर्ष करते हुए, सामाजिक रूढ़ियाँ व प्रतिगामी मूल्यों का विरोध करते हैं। इस गली में रहने वाले तमाम लोग उस व्यापक समाज के सदस्या के प्रतीक बन जाते हैं जो विभाजन से प्रभावित होकर इधर-उधर भटकते हैं और अंत में परिस्थितियों के विरोध में उठकर अपने जीवन की दिशा को निश्चित करते हैं।

विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखे जाने के कारण विभाजन की राजनीति खुल कर सामने आती है। द्वितीय महायुद्ध के राजनितिक सदम इस उपन्यास में चित्रित किए गए हैं। युद्ध के बाद ब्रिटेन को यह एहसास हो चला था कि कांग्रेस की शक्ति क्षीण होती जा रही है और जनवादी शक्तियाँ तजी से बढ़ रही हैं। ब्रिटेन इस तथ्य से भी बाकिफ हो चला था कि संभवतः आंदोलन का नेतृत्व, कांग्रेस के हाथों से निकलकर देश की ग्रामपथी पार्टियाँ के हाथों में आ जाए

और यदि ऐसा हो जाता है तो भारत पर उसका नियंत्रण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्रिटेन के इन प्रयत्नों की झलक उप-यास में देखने को मिलती है। ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल शिमले में सत्ता हस्तांतरण के लिए कांग्रेस से समझौता करना चाहता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रतिनिधि-मण्डल को फरेब समझती है। उसके अनुसार यह नहीं हो सकता कि लीग का पाकिस्तान भी मिल जाए और कांग्रेस को अखण्ड हिंदुस्तान भी। लीग और कांग्रेस की इस टकराहट के कारण ही साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग प्रयत्न करते हुए दिव्याई देते हैं। लोगों को संगठित करने व साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ने के लिए यह पार्टी विशाल जुलूस निकानती है।

दूसरी ओर पाकिस्तान की भाग के समय में मुस्लिम लीग प्रदर्शन करती है। पंजाब में मंत्रिमण्डल त्याग-पत्र देता है। मंत्रिमंडल बनाने में असमर्थ रहते हैं। कांग्रेस भी पाकिस्तान के विरोध में सभाओं का आयोजन करती है और अंत में दश का बटवारा स्वीकार करती है। 15 अगस्त, 1947 को देश को स्वतंत्रता मिलती है और कांग्रेस के लोग हिल्सकी की चुस्कियो के साथ राष्ट्रीय पर्व का स्वागत करते हैं। कांग्रेस का अवसरयानी चरित्र, दूसरे भाग में उभरकर सामने आता है। कथा के प्रारम्भ में, लेखक, कांग्रेसी नेता सूद जी का परिचय देता है जिसके माध्यम से कांग्रेसी नेताओं की अधिकार लिप्सा और समझौतापरस्ती को दिखाया गया है। सूद और प्रसाद दोनों कांग्रेसी नेता, शरणार्थी युवतियाँ के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। सूद जी तारा से और प्रसाद जी कनक से अपनी भागलिप्सा शांत करना चाहते हैं। उप-यास में एक स्थान पर कनक कहती है 'इन कांग्रेसियों ने गांधी जी से एक ही बात सीखी है कि चाहे जिस लड़की के कंधे पर हाथ रख लो; सभी अपने को राष्ट्रपिता समझन लगे हैं।'

यशपाल, दश की प्रतिगामी शक्तियाँ व घणित स्वरूप को सामने रखकर यह बताने की कोशिश करत है कि यही शक्तियाँ देश की प्रगति के रास्ते में बाधा उपस्थित करती हैं। हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा कर उन्हें आपस में लडाती है। इन शक्तियों के बग चरित्र व अंतर्विरोधी पक्ष का उदघाटन ही उप-यास की सफलता है। इन शक्तियों के विरुद्ध जता अपनी शक्ति चुनाव के दौरान प्रकट करती है। विजय की तमाम सभावनाओं के बावजूद भी सूद जी सत्रह हजार वोटों से हार जाते हैं और अंत में लेखक स्वीकार करता है, 'जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं बल्कि देश की जनता के हाथ में है।' यशपाल, उप-यास के माध्यम से यह स्पष्ट कर देते हैं कि वर्तमान समाज गला सड़ा है, इसको बदलना होगा और इसको बदलेगी देश की जनता, जिसके हाथों में देश का भविष्य है। लेकिन क्या यह परिवर्तन एक नता की हार से हो जाएगा? यशपाल, समस्याओं का

विवेचन तो भावसवादी दृष्टिकोण से करते हैं, परंतु उसका समाधान उस दृष्टिकोण से नहीं दे पाए हैं। इसलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी को वैकल्पिक रूप में प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहते हैं। वे समाज में क्रांतिकारों परिवर्तन, लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से चाहते हैं।

उपमास में एक ओर विभाजन के बेटे में काय कर रही राजनीति के उद्घाटित किया गया है तो दूसरी ओर राजनीति के स्वरूप को भी उभारा गया है जो देश में साम्प्रदायिक दंगे करवाती है और हिंसक वातावरण पैदा करती है। तत्कालीन परिवेश में सामाज्य घटनाओं को भी रंग देकर साम्प्रदायिक चेतना फैलाई गई। सोमराज साहनी परीक्षा में नकल करता हुआ मुसलमान अध्यापक द्वारा पकड़ा जाता है, लेकिन बुर्जुआनी प्रेस इस घटना को हिंदू और मुसलमान का झगडा कहकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे शहर में तनाव का वातावरण तयार होता है। लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ज्यों ज्यों पाकिस्तान की मांग को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में तनाव बढ़ता गया त्यों-त्यों साम्प्रदायिक दंगों की संख्या में वृद्धि होती गई और साम्प्रदायिक मानसिकता, विशेष रूप से निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में विकसित हुई जो दंगों के मूल में काय कर रही राजनीति को समझने में असमर्थ थे। भोला पाण्डे की गली में, दो शिथिल महिलाएं लोगों को यह समझाने की कोशिश करती हैं कि वे मुसलमानों की दुकानों से धस्तुएँ खरीदें क्योंकि इन मुसलमानों ने बगल में हिंदू औरतों के साथ पारिवर्क अत्याचार किए। इसमें हम मोहल्ले की औरतों को यह बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि मुसलमान बहुत ही घणित लोग हैं और वे ही हिंदुओं का वरत करते हैं। तारा जब यह प्रतिवाद करती है कि ये लडाइया जंगेज करवाते हैं तो मोहल्ले की अर्थ औरतें उसका विरोध करती हैं। वे मानती हैं कि मुसलमान ही लडते हैं, हिंदू बेचारे कहा लडते हैं।

इसके साथ ही लेखक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि साम्प्रदायिक दंगा के दौरान मरने वाले लोग अधिकतर गरीब हैं। यद्यपि तत्कालीन परिवेश में, इन फसादों में धार्मिक घृणा और बदले की भावना काय कर रही थी, लेकिन भूल रूप से यह लडाईं दो वर्गों की लडाईं थी, जिसके पीछे आर्थिक कारण थे। यशपाल इन आर्थिक कारणों की ओर संकेत करते हुए झाइवर से कहलवाते हैं, 'बहिन जी, सब ही मुसलमानों ने हिंदुओं को लूटा। कौशल्या देवी के समयन में उत्साहित होकर झाइवर बोला, हिंदू सैकडा वरम से हम लोगों को लूटते-निचाहते चले आ रहे हैं नहीं तो एक ही जमीन पर रहने वाला मैं अमीरी-गरीबी का इतना फरक क्यों होता? पत्ताव की सारी जायदाद हिंदुओं का हाथ क्यों चली जाती? गरीब पहले मुस्लिम में मुसलमान हुआ। दूसरा मुस्लिम मजहब का है, पर गरीबों का भी है बहिन जी।' हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत ही

मुनियोजित तरीके से एक सम्प्रदाय को उठाया गया तो दूसरे को गिराया गया और इसी राजनीति के फलस्वरूप देश का विभाजन हुआ, हठारों की जानें गईं।

विभाजन की सबसे शूर यत्रणा स्त्री समुदाय को भोगनी पड़ी। मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर यह यत्रणा अत्यधिक तीव्र थी। यशपाल ने जितनी गहनता से विभाजन के सदर्भ में स्त्री समुदाय की मन स्थिति को चित्रित किया है उतनी सघनता से वे बहुत कम सदर्भों को अभिव्यक्त कर पाए हैं। तारा, बती, उर्मिला, कनक, शीलो ये तमाम पात्र अलग अलग आयामों पर, स्त्री पर हुए अत्याचारों की कहानी को अलग-अलग सदर्भों में प्रस्तुत करते हैं। विभाजन से प्रभावित ये तमाम स्त्री पात्र विपन्न परिस्थितियों से सघप करती हुई अपने व्यक्तित्व की तलाश करती हैं।

तारा निम्न मध्यवर्गीय परिवार से सम्बन्धित है। साम्प्रदायिक दगो के मूल में कायरत शक्तियों को वह समझती है और भाग्यवाद के विरोध में स्वयं का खड़ा करती है। उसका विवाह एक ऐसे युवक से हुआ रहा है जो बदनाम है और जिसको वह नहीं चाहती। असद और पुरी के सहयोग से महत्वपूर्ण आशवासन के कारण वह प्रारम्भ में इस विवाह का विरोध नहीं करती लेकिन जब उसे यह एहसास हो जाता है कि ये दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर सकते तो वह इस विवाह का विरोध करती है, परन्तु अन्ततः उसका विवाह सोमराज साहनी से हो जाता है। सोमराज की बबरता के कारण अपनी ससुराल से उसे पहली ही रात भागना पड़ता है। साम्प्रदायिक माहौल में वह नव्वू द्वारा उठा ली जाती है लेकिन वहाँ भी आत्मसमर्पण नहीं करती और यथासंभव उसका विरोध करती है। हाफिज जी उसे अपने घम में लाना चाहते हैं लेकिन वह उसको स्वीकार नहीं करती क्योंकि उसके लिए घम मात्र बाहरी आडम्बर है।

उपन्यास के दूसरे भाग में वह शरणार्थी कम्पा में दिखाई देती है। बती का परिवार डूढ़ने में वह उसकी मदद करती है, मिस्रज अगगवाल के घर में ट्यूटर बनती है और हर जगह परिस्थितियों के विरोध में स्वयं को खड़ा करती है लेकिन कहीं भी टूटती नहीं। सरकारी नौकरी पाने पर प्रत्येक स्तर पर अन्याय का प्रतिरोध करती है। कांग्रेसी नेता सूद जी और अपने भाई पुरी द्वारा भेजे गए सोमराज साहनी को भी वह अनुचित लाभ नहीं उठाने देती। हर मुमकिन तरीके से वह विभाजन से पीड़ित शरणार्थियों की सहायता करती है और अन्त में डा० नाथ से विवाह कर लेती है।

बती की कथा विभाजन के दौरान स्त्रियों पर हुए अत्याचारों के एक अर्थ आयाम को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर वह प्रताड़ित होती है। मुसलमानों द्वारा वह अपने गाँव से उठा ली जाती है और नव्वू जैसे गुंडे उसके शरीर को रौंदते हैं। नौशल्या देवी की सहायता

त वह उग उरक न छुट्ठी है। तारा की मरुत में वह अपने परिवार वालों को तनाशने में समर्थ होती है। लेकिन उगका पति मंगोहराम उग अपने घर में रमा में नकार कर लेता है। उसकी मायता है, 'बैंग पर मरुत में। चुकरी बालों को बट भी ना लेग आई या? मुसलमानों ने इन्हें छोड़ा होगा? उन्हीं परो कहरया तोड़कर औरतों को शराब किया, इन्हें छोड़ दिया होगा।' क्या पति के दुःख व्ययहार के कारण यही आत्महत्या कर लेती है। विभाजन के बाद यह आगरा दगा गया कि अफगान हिन्दुओं का उनके परिवार वालों न बनने परो म नहीं रहा किया। यंगपाल 1 यती क मादरम से म लख को अभिवादन किया है।

प्रथम भाग में 'झूटा मय' का बंधावक पूरा नहीं हो पाया, इसलिए यशपाल ने दूसरे भाग को लिखा। दूसरे भाग में यशपाल जी के मामने विस्थापितों की समस्याएँ थी, आबादी परिवहन के दौरान विकसित हुई नवीन मानसिकता थी, अपनी जड़ में उलटते हुए लोगो को फिर से बसाने का प्रयत्न था। इन नवमय घटनाओं का बिस्तृत चित्रण उन्होंने दूसरे भाग में दिया है।

ब्रिटिश साम्राज्यवादी देश को आजादी तो दी थी लेकिन 71 भागों में बांट दिया ताकि दोनों देश अपने अपने आर्थिक विकास के लिए उन पर निर्भर रह सकें। जातीय और धार्मिक आधार पर देश के विभाजन ने आर आर्थिक समस्याओं का जन्म दिया जिससे पश्चिमी पंजाब का आर्थिक ढाँचा काफी प्रभावित हुआ। चेलिंग ने इस छद्म में लिखा है, 'एक आर्थिक और सांस्कृतिक गमानता घाने देश के विभाजन ने भारत और पाकिस्तान में बहुत मो आर्थिक परमानिया और राजनैतिक दुश्मनियों का जन्म लिया। उसने दोनों बाजार को सीमित कर दिया जिसने भौगोलिक रूप से आर्थिक विकास को धीमा कर दिया तथा भारत और पाकिस्तान की सरकारों इस बात के लिए विवश हुई कि वे उच्च सहायता ल जो कल तक उनके स्वामी थे। इसके साथ-साथ लाड माउण्टबेटन ने जिन्ना के आबादी के तबान्त का सिद्धांत तो स्वीकार कर लिया था, परंतु दोनों देशों की सीमाओं पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी। जिसके फलस्वरूप व्यापक पैमाने पर काफिलों पर आक्रमण हुए। माउण्टबेटन ने पंजाब के शरणार्थियों की हिफाजत के लिए केंद्र से कोई भी सहायता नहीं भेजी। गाँधी सहाय का कहना है कि जनरल रीय जो वाँडा सेना के कमाण्डर थे, उन्होंने भी जिस नीति का परिचय दिया उससे भी घोर निराशा ही उत्पन्न होती है। उसने अपनी फौजी संना को पूर्वी पंजाब में भेजा पर पश्चिमी पंजाब में हिंदू और सिखा की सुरक्षा के लिए कोई सना उसने नहीं भेजी। ठीक इसके विपरीत जब ब्रिटिश मंत्रिका ने कोई हिंदू व सिख क्रिमी बात की शिवायत करता तो वह मुस्कराते हुए कहते 'आप स्वतंत्रता चाहते थे, अब आपका स्वतंत्रता मिल गई।

उसमे जो कुछ हो रहा है उसे सहप सहन कीजिए। हम तो केवल एक निश्चित समय के लिए और एक खास काम के लिए नियुक्त हुए हैं।' तारा पजाब से दिल्ली आते समय रास्ते में हिंदू काफिलों पर हुए अत्याचार को देखकर सन्न रह जाती है 'बास के पेट एक स्त्री का नगा शरीर था, स्त्री बास के सिरे पर टांग फैलाए अटकी हुई थी। दोनों टांगों पर ताजा खून क्षितिज से झाँकते हुए सूर्य की किरणों में चमक रहा था। बास उठाकर चलने वाले आदमी के सामने, हाथों में चेहरा छिपाए चार पांच स्त्रियाँ धकेली जा रही थी। ये लोग मुस्लिम काफिलों को घुणित गानियों से ललकार रहे थे—ले जाओ, ले जाओ, अपनी माओ, बेटियों को पाकिस्तान ले जाओ। इस प्रकार के दृश्यों की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर तो थी ही, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

एक ओर पजाब के लोग अपनी जमीन से उखड़कर हिंदुस्तान आए थे, दूसरी ओर हिंदुस्तान के शरणार्थी कैम्पों में उनके लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ डेढ़ पाव आटा और छटाक-भर दाल प्रति व्यक्ति, प्रति-दिन के हिसाब से मिलता था। कैम्पों में लोग अनेक बीमारियों से पीड़ित थे। आर्थिक समस्याएँ उनके सामने मुहं बाएँ खड़ी थी। आर्थिक परेशानियों के कारण न सिर्फ हिंदू मुसलमान को या मुसलमान हिंदू को लूट रहे थे। पुरी की रही सही जमा पूँजी भी लूट ली जाती है क्योंकि लूटने वाला भी अपने देश से चुटकर आया है और यहाँ पर उसे अपनी बीबी-बच्चों का पेट पालना है। शरणार्थियों की दयनीय स्थिति का फायदा हिंदू बनियों ने भी उठाने में सकोच नहीं किया। छोटे छोटे दुकानदार शरणार्थियों के लिए सरकार से राशन तो लेते थे, लेकिन वहाँ में उसका बलक करते थे। इन कार्यों में उनकी मदद सूद जैसे कांग्रेसी नेता कर रहे थे। हिंदू बनिये कम कीमतों पर शरणार्थियों से सोना खरीदते और बाद में ऊँची कीमतों पर बेच देते। पुरी, सोने की चूड़ियाँ बेचना चाहता था, लेकिन कोई भी दुकानदार डेढ़ सौ रुपये से अधिक देने के लिए तैयार नहीं था जबकि उनका वास्तविक मूल्य कहीं अधिक था। ये व्यापारी और साहूकार सूद जी के ही सहयोगी हैं जो विस्थापितों की मजदूरी का फायदा उठाकर उनके दुर्भाग्य का सोदा करते हैं और उनसे बची हुई सम्पत्ति भी छीन लेना चाहते हैं। सरकार द्वारा खोले गए कैम्पों में शरणार्थियों के लिए खाना, कपड़े और रुपये में भी ये लोग अपना हिस्सा वाटने आ जाते हैं। इनका उद्देश्य महज अपना हित साधना है। इनमें सिर्फ सूद ही नहीं बल्कि प्रसाद जी हैं, अवस्थी है, मिसेज पत है, अग्रवाल दम्पति है, और ये सब जनता के हिमायती बनकर जनता का शोषण करते हैं। कहने को तो ये लोग गांधीवादी हैं, परन्तु स्वार्थ सिर्फ बाहरी नैतिकता के कारण ही पहनते हैं। मिसेज अग्रवाल गांधी जी

की प्राथना सभाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, लेकिन भरती खट्टर की साहसिकता उनकी कमर में गुज की तरह चुभती है।

यथापाल ने उपयाम में पुरी और कनक की कथा की विभाजन के सदस्यों को दिखाया है। पुरी प्रारम्भ से आदर्शवादी युवक के रूप में उभरकर सामने आता है। 1942 के आन्दोलन में वह जेल भी जा चुका है। वह समाज के तमाम प्रतिपक्षीय भागी भावों का विरोध करता है, लेकिन अंत में एक समझौतापरस्त और अवसरवादी व्यक्ति बन जाता है। उसके और तारा के व्यक्तित्व में एक बुनियादी अंतर है और वह यह कि जहां तारा परिस्थितियों के समक्ष कभी आत्मसमर्पण नहीं करती और यथासंभव सामाजिक परिवर्तन का विरोध करती है वहां पुरी कहीं भी परिस्थितियों के विरोध में स्वयं को खड़ा नहीं करता। सिर्फ बेरोजगार होने के कारण वह तारा के विवाह का विरोध नहीं करता और चुपचाप अपनी बहन को उसके भाग्य के सहारे छोड़ देता है। वह कहीं भी समाज की बहानी परम्पराओं के विरोध में खड़ा नहीं होता। विभाजन के बाद वह शरणार्थी कैंपों में जा पहुंचता है और बेइमान कांग्रेसी नेता सूद जी की कृपा से एक प्रेस का मालिक और एक पत्रिका का सम्पादक बन जाता है। सूद जी, पुरी का प्रयोग अपने वृद्धि के लिए करते हैं। जिस पुरी ने कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता के कारण पेशेकार से नौकरी छोड़ दी थी वही पुरी पत्रिका का सम्पादक बनने पर कम्युनिस्टों का विरोध करता है। एम० एल० ए० बनने के बाद जनता की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुलिस का सहारा लेता है। उपयाम में उसका विकास एक रीढ़हीन अवसरवादी व्यक्ति के रूप में हुआ है।

वस्तुतः तारा और पुरी दोनों ही निम्न मध्यवर्गीय परिवार से सम्बंधित हैं और दोनों ही अपने-अपने तरीके से जीवन में सुख सुविधा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तारा यूँ तो जीवन में प्रत्येक स्तर पर सफल रहती है, परन्तु नौकरी के लिए ब्यूरोक्रेट्स—रावत और अग्रवाल—के मन बहलाव का साधन बनती है और अपनी सुख सुविधा के लिए प्रारम्भ से ही अपने आत्मसम्मान को बेचती है।

भारत पाक विभाजन के सामाजिक सदस्यों में एक स्वस्थ परिणाम यह हुआ कि समाज में रुढ़िवादी सरकार खत्म हो गई। पंजाब के लोगों ने नवीन मूल्यों और नवीन आस्थाओं को अपनाया। विभाजन के बाद यह अवसर देखा गया कि पंजाब के अनेक भागों में गैर जातीय विवाह हुए। भारत में सबसे पहले पंजाब की लड़कियाँ ही नौकरियों के लिए घर की चहारदीवारी से बाहर निकलीं। विभाजन से प्रभावित स्त्रियों ने स्वावलम्बी बनना चाहा। तारा और कनक आर्थिक रूप में पुरुषों पर निर्भर रहना नहीं चाहती कनक नौकरी के

लिए अनेक प्रयत्न करती है। यद्यपि उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है फिर भी नौकरी के लिए वह सखनऊ जाती है और अंत में, दिल्ली के किसी गांव में नौकरी करती है।

इस प्रकार यशपाल ने विभाजन की विभीषिका के अनेक आयामों को विविध सदमों में देखा है और विभाजन के दौरान की आगजनी, हत्याकाण्ड, विस्थापितों से भरी गाड़ियों में बत्लेआम, स्त्रियों के अपहरण और बलात्कार के केन्द्र में प्रतिगामी राजनीति के स्वरूप को उदघाटित किया है और स्पष्ट कर दिया है कि यह राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चल सकती। दश का भविष्य सूद, प्रसाद, अग्रवाल और रावत के हाथ में नहीं बरन् देश की जनता के हाथ में है।

## तमस

'झूठा सच' में यशपाल ने विभाजन से उत्पन्न तत्कालीन परिवेश का विशद चित्रण किया है। इसमें 1945 से लेकर 1952 के दौरान व्यक्ति की दृष्टि का, उन दिनों की उथल-पुथल का और तत्कालीन राजनीतिक परिवेश का अंकन किया गया है। यशपाल ने विभाजन की विभीषिका के तुरंत बाद 1958 में यह उप-यास लिखा लेकिन 'तमस' विभाजन के 25 वर्षों बाद सन 1972 में लिखा गया। विभाजन के इतने लम्बे अंतराल के बाद इस उप-यास का लिखा जाना यह प्रकट करता है कि लेखक उस विभीषिका को अभी तक भुला नहीं पाया। विभाजन का पीडा इतने लम्बे समय तक उसे सालनी रही और इस पीडा से मुक्ति पाने के लिए वह तत्कालीन परिवेश को निर्भीकता के साथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है और चाहता है कि विभीषिका के वे दहनपूर्ण दिन पुनः लौटकर न आएं। लेखक उन दिनों के तमाम सदमों को पूर्ण समग्रता के साथ पाठकों के समक्ष रखता है। इस प्रक्रिया में वह, तत्कालीन परिवेश में व्याप्त अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश करता है। इसके साथ-साथ वह उन सामाजिक, आर्थिक कारणों पर भी विचार करता है जिसके तहत विशाल जनसमुदाय को एक स्थान से दूसरे स्थान में शरणार्थी बनकर जाना पड़ा। विभाजन से जुड़े हुए समस्त सदम, लेखक की विचारधारा के साथ विकसित होते हैं। चाहे स्वामी वानप्रस्थ जी का मजहबी सकीणता का प्रश्न हो, चाहे रिचर्ड की कूटनीति का, चाहे हरनाम सिंह द्वारा अपना घर छोड़ने का प्रसंग हो, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सोहन सिंह द्वारा दंगों को रोकने का प्रसंग हो, सभी का विवेचन भीष्म साहनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं और उसमें व्याप्त अंतर्विरोधी स्थिति को उजागर करते हैं।

'तमस' कुल मिलाकर पाँच दिनों की घटनाओं को आधार बनाकर लिखा



गया है। यह पांच दिन विभाजन के सरनाम पहले के कोई भी पांच दिन हो सकते हैं लेकिन इन पांच दिनों में देग में व्याप्त घुणा, विद्रोह, साम्प्रदायिक उमात् एका-एक उपन नहीं हो गए, इसके पीछे बहुत पहल से ही विदेशी शक्तियों द्वारा व्यापक स्तर पर माजिग की जा रही थी जिन्की परिणति विभाजन के ठीक पहले के दिनों में हुई।

नमम की घटनाओं का सचासन जिले का डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड करता है जो पदों के पीछे है। रिचर्ड के सबेन में ही शहर में दगे होने हैं, प्रागजनी, लूट व हत्याएं होनी हैं और उमी के सबेन से घटनाओं की समाप्ति हाती है। रिचर्ड ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उन नीतियां को भारत में नियायित करता है जो सदन में तैयार की जाती हैं। विभाजन के बाद देग में हुए साम्प्रदायिक दगे अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था। विश्व इतिहास पर दृष्टि डालने में पना चलता है कि लगभग प्रत्येक दश में विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों के लोग रहते आए हैं लेकिन साम्प्रदायिक समस्या सिर्फ उन्ही देशों में उत्पन्न हुई है जहाँ पूजावादी शासक राज कर रहे थे और जन-आंदोलनों के खिलाफ अपनी सत्ता का बर-बरार रखना चाहते थे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सी बप पहले ही इस प्रकार के झगड़े देखने को मिलते हैं।

धार्मिक मतभेद हमारे समाज में पहले भी थे लेकिन अंग्रेजों ने उन मतभेदों को अपने हित के लिए इस्तेमाल किया। भीष्म साहनी ने इस सदभ में लिखा है, 'अंग्रेजों ने पहली बार व्यापक स्तर पर इन मतभेदों को, भारतवासियों के खिलाफ एक राजनैतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया और हमारी विडम्बना इस बात में रही कि हम उनकी कूटनीति को जानते-समझते हुए भी धम के नाम पर झडक उठे, देश के दो टुकड़े होने दिए और परस्पर द्वेष का विष फैलाने दिया। धार्मिक मतभेदों को जब बढ़ावा दिया जाता है तो इसके पीछे आर्थिक और सामाजिक मसूवे काय कर रहे होते हैं।'

रिचर्ड ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि है, इसलिए दगों को संचालित करने वाली डोर उसके हाथ में है। मुरादअली के कहने से नत्थू सूअर मारता है और बाद में यही सूअर मस्जिद की सीढियों पर पाया जाता है जिससे शहर में तनाव उत्पन्न होता है। नत्थू को सूअर मारने का आदेश देने के लिए मुरादअली तो सामने आता है लेकिन मुरादअली को निर्देश देने वाला रिचर्ड स पदों के पीछे ही रहता है। शहर में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने से विभिन्न पार्टियों का शिष्ट मण्डल रिचर्ड के पास जाता है और उससे आग्रह करता है कि वह डिप्टी कमिश्नर होने के नाते दगों को रोकने का उपाय करें लेकिन रिचर्ड में जिसके अधीन फौज, पुलिस व पूरी शासन व्यवस्था है अपनी असमयना प्रकट करता है। वह न तो पुलिस की गश्न करवाने पर राजी होता है और न ही शहर के प्रमुख स्थानों पर

फौज की चौकिया बिठाने पर। न तो वह शहर में कपयूँ लगवा सकता है और न ही शहर के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़वा सकता है। इनमें से कोई भी काम उठाने पर दमे खत्म नहीं तो काम जरूर हो सकते थे। वह यह पर राज करने आया है और वह नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने के बजाय सगठित होकर, उससे खिलाफ लड़ने लगे। शहर में हुए फसाद की खबर पाकर वह लीजा में बहता है 'क्या यह अच्छी बात होगी कि लोग मिलकर मेरे खिलाफ नई, मेरा खून करें। अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने 'फूट डालो और शासन करो' की नीति अपनाई थी और उन्होंने इस नीति के सहारे न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन को कमजोर किया बल्कि देश का बंटवारा भी इस तरह से किया कि विभाजन के बाद भी दोनों अधिराज्यों का आर्थिक शोषण करते रहें। 'फूट डालो और शासन करो' की नीति को क्रियावित करने के लिए अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद, मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन तथा सामाजिक अंधविश्वास का सहारा लिया। एक स्थान पर रिचर्ड अपनी पत्नी से कहता है, 'डालिंग, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते कि प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग-अलग हैं। यद्यपि वह शहर में हिंदू मुस्लिम दंगों को संचालित करता है लेकिन ऊपर से तटस्थ बना रहता है। लीजा रिचर्ड से कहती है, 'देश के नाम पर ये लोग तुम्हारे साथ हैं और धर्म के नाम पर तुम इन्हें आपस में लडाते हो। जब सारा शहर साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में आ चुका होता है, सैकड़ों मारे जाते हैं, हजारों बेघर हो जाते हैं, संकड़ा मान जल चुके होते हैं। जगह-जगह आगजनी और लूट की घटनाएँ हाँचुँबी होती हैं और जब शासक वर्ग को यह महसूस हो जाता है कि आपस में लड़ते लड़ते लोगों की सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है और अब वे जल्दी ही उनके खिलाफ लड़ने का साहस नहीं करेंगे तो शासन-तंत्र सक्रिय हो उठता है। तब शहरों और गाँवों में हवाई जहाज उड़ान भरता है, गलियों में पुलिस गश्त करने लगती है, जगह-जगह फौजी चौकियाँ बनाई जाती हैं, रिलीफ बॉम्ब खोले जाते हैं, हवाई जहाज को देखते ही मार-काट खरम हो जाती है, जिस जिस गाँव में हवाई जहाज उड़ता जाता है वहाँ ढोल बजने व द हो जाते हैं, नारे लगने बंद हो जाते हैं, आगजनी और लूटपाट की घटनाएँ बंद हो जाती हैं। कसाई का लड़का जो गुरुद्वारे की खिडकियों पर तेल छिड़ककर आग लगाने ही वाला होता है, हवाई जहाज को दखकर अपना इरादा बदल देता है। दिशन मिह दिलेर बनकर मुसलमानों के सामने खड़ा जाता है तमाम लोग अपने अपने घर में हुए नुकसान को देखने के लिए वापस जाने लगते हैं। तब जिला कांग्रेस के बहशी जी के मन में विचार उत्पन्न होता है—फसाद करने वाला भी अंग्रेज, फसाद रोकने

याना भी अप्रैज, भूंगा मारा वाला भी अप्रैज, पर मे बेपर करन वाला भी अप्रैज और घरो म बगाने वाला भी अप्रैज । अप्रैज फिर बाजी ल गए । उपवास मे प्रारम्भ से अन्त तक घटाओ का सयोजन रियवट म क हाथ म रहता है । उमी के शगर मे दग होत हैं, उमी के शगर स दग समाप्त होत हैं । उपवास का रिगड म तरातीन परिचमी पजाव के टिप्टी कमिश्नर 'कोट्स' का ही दूसरा रूप है ।

विभाजन के दौरान हुए दगो के मून म श्रिटिंग प्रशासको की कूटनीति तो थी ही लेकिन हिंदूवादी सस्थाओ—आर० एस० एस० व हिंदू महागमा—ने भी इस जलती हुई आग म धी का काम किया । इन सस्थाओं ने धम की आड म मून खराबा किया और तलवार का जवाब तलवार से देने का आह्वान किया । उपवास की सबसे बड़ी शक्ति और सफलता इन सस्थाओ के फासिस्ट स्वरूप की उभारने म है । सनाव की कम करन के मजाय इन सस्थाओ ने उसे बढ़ाया । सत्यग की समाप्ति के पदचात् सभा की विताजित हो जाना चाहिए था किन्तु अंतरंग सभा के सदस्य बैठे रहे क्योंकि एक जरूरी विषय पर विचार विमश करना था । इस जरूरी विषय का सचेत स्वामी वानप्रस्थ जी अपने व्याख्यान म करते आए थे ।

ये वानप्रस्थ जी हिंदुओ को सलाह देते हैं कि मुसलमानो के आक्रमण से बचन के लिए सभी सदस्य एक-एक बनस्तर कडवे तल का रखें, एक एक बोरी पोयला रखें ताकि उबला हुआ तेल शत्रुओ पर डाला जा सके और जलते अगार छत पर से फेंके जा सकें । सभा म यह भी निणय लिया गया कि युवको को लाठी चलानी सिखाई जाए । वानप्रस्थ जी की यह सभा मूल रूप से राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ की सभा का ही प्रतिरूप है और इस बात से इकार नहीं किया जा सकता है कि सघ ने साम्प्रदायिक भावना का प्रचार कर साम्प्रदायिक दंगे बढ़ाने मे मदद की । वस्तुत आर० एम० एम० की स्थापना का मूल कारण ही मुस्लिम विरोध है । हैडगेवार जैसे प्रमुख नेता यही समयते थे कि सिफ हिंदू ही हिंदू संस्कृति की रक्षा कर सकत हैं और देश को स्वतंत्र करा सकते हैं । जिस समय आर० एस० एस० की स्थापना हुई थी, उस समय यह तय किया गया था कि बचस्क लोगो पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए अपनी सस्था मे कम उम्रो के नौजवानो को भरती किया जाए । अपनी सस्था मे शामिल करने से पूष बच्चो की निष्ठा और आज्ञाकारी क्षमता की बखूबी छानबीन की जाती । रणवीर को आय मुख बनाने से पहले उसकी मानसिक दबता, कमठता का पूरी तरह परिचय लिया जाता है । मास्टर देवव्रत रणवीर को दीक्षा देन से पहले उसकी परीक्षा करते हैं और उमे एर ही बार मुर्गी की मरदन काटने के लिए तय हैं । आर० एम० एम० ने स्कूली बच्चो की मानसिकता, सम्प्रदाय के

आधार पर विकसित की। शिवाजी और राणाप्रताप की कहानियों के माध्यम से इन सस्थाओं ने उदारता के स्थान पर मुस्लिम विरोधी भावनाएँ पैदा कीं। और जब रणवीर पूरी तरह दीक्षा पा लेता है तो वह निहायत साम्प्रदायिक हो उठता है। वह और उसके साथी मुसलमानों से युद्ध करने की तैयारी करते हैं, शस्त्रागार बनाते हैं, तमाम हथियार एकत्रित करते हैं, सिर्फ तेल उबालन के लिए बर्दाई की बर्मी रह जाती है तो वह इसे हलवाई की दुकान से इस तरह लूट लाते हैं जिम तरह शिवाजी सूरत लूट लाए थे। म्लेच्छों यानी मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने का सबक आर० एम० एस० वालों न फासिस्ट जर्मनी से ही मीखा था। म्लेच्छों के बारे में रणवीर को बताया जाता है कि म्लेच्छ तो गंदे होते हैं, ये नहाते नहीं हैं, पाखाना करके हाथ नहीं धोते, एक-दूसरे का झूठा खा लेते हैं, समय पर शौच नहीं जाते। इसलिए उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर रणवीर और उसके साथी म्लेच्छों की हत्या करने पर उतारू रहते हैं और उन्हें शिक्षा भी इसी प्रकार दी जाती है कि वार हमेशा कमर में करो या पेट में या घुमावदार छुरा घोंपने के बाद उसे अंदर ही-अंदर थोड़ा मोड़ दो जिससे अतडिया वाहर आ जाएगी। और इसी तरीके से रणवीर बूढ़े इत्रफरोश की हत्या करता है।

यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंच और हिंदू महासभा जैसी सस्थाएँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ मिलकर साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ाने में मदद कर रही थी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य इन दंगों को रोकने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे थे। सोहनसिंह और मोरदाद जैसे लोग दंगों के दौरान लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। देवदत्त, मोरदाद और सोहनसिंह जैसे तीनों सदस्य लेखक के मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साम्प्रदायिक समस्या का मूल्यांकन करते हैं और लोगों में वास्तविकता की सही समझ विकसित कर समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये लोग समझते हैं कि यह लड़ाई शोषक और शोषितों की नहीं है बल्कि धर्म के आधार पर बटे हुए सभी शोषितों की आपसी लड़ाई है। इसके बावजूद भी ये लोग साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें असफल रहते हैं। इससे पार्टी के सदस्यों की आस्थाएँ तो टूटती ही हैं साथ में यह विश्वास भी खण्डित होता है कि मजदूर आपस में नहीं लड़ सकते।

'तमस' सिर्फ साम्प्रदायिक दंगों तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि विभाजन के सबसे ज्वलंत प्रश्नों को भी पाठकों के समक्ष रखता है। विभाजन की सबमे-वही विडम्बना यह रही कि जनता को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपना भरा-पूरा

घर-बार छोड़कर भागना पड़ा और अनजानी और अतचाही जगह में जाकर शरण लेनी पड़ी। हरनामसिंह की क्या वे माध्यम से लेखक ऐसे तमाम लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है जिन्हें एकाएक अपना घर छोड़कर शरणार्थी बन जाना पड़ा। विभाजन की इस अमानवीय त्रासदी से दोनों देश के आर्थिक ढाँचे को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यद्यपि भीष्म साहनी ने दोनों देश के चर-मराते हुए ढाँचे का जिक्र नहीं किया लेकिन शरणार्थियों की समस्याओं को, उनकी सवेदनाओं को रेखांकित किया है। लेखक ने उन सदर्थों का भी जिक्र किया जिसके कारण व्यक्ति को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा।

इस मद्दम में एक बात विशेष रूप में देखी गई कि मोहल्ले वाली ने अपने मोहल्ले के लोगों की—चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान—रक्षा की। उन्होंने अपनी माहल्लेदारी निभाई और उन्हें या तो यह चेतावनी दी कि उनका जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं है और वे यहाँ से चले जायें या उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए। हरनामसिंह को करीम खान, आसन सबूत स आगाह करता है और वह भरी हुई दुकान छोड़कर थोड़ी सी पूजा लेकर अपनी पत्नी के साथ निकल पड़ता है। लेखक ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि हरनामसिंह को मारने के मून में साम्प्रदायिक कम बरन आर्थिक कारण अधिष थे। यदि वास्तव में बलवाई हरनामसिंह को मारना चाहत तो वे पहले हरनामसिंह को खोजत और बाद में उसकी दुकान को सूटते, लेकिन नहीं, उन्होंने हरनामसिंह को छोड़कर उसकी दुकान को सूटना ही श्रेयस्कर समझा। वस्तुतः आर्थिक कारणों की वजह से ही बनवाइयो ने लोगों की हत्याएँ की, उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य किया। पश्चिमी पंजाब में मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू-सिख अधिक सम्पन्न थे। हिंदू सिख उद्योग व्यापार और खेती का काम करते थे, जबकि मुसलमान अधिकांश कुशल कारीगर थे और फौज में भरती होते थे। अपने पिछड़ेपन के कारण और हिंदुओं की प्रगति के कारण मुसलमानों ने हिंदू सिखा पर अधिक उग्र रूप से आक्रमण किए। यह आक्रमण इस हद तक बढ़ गए थे कि इन्होंने छोटे-मोटे युद्ध का रूप ले लिया था। गुच्छारे में सारा सिख संगत का धर्म की रक्षा के लिए एकत्रित हाना और मुसलमानों के मोहल्ले में तमाम मुसलमानों का एर स्थान पर इकट्ठा होना इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि साम्प्रदायिक तनाव दूर दराज के गाँवों में भी फैल चुका था। लोगों में गम्प्रदाय के लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं की अतीत में महगुग कर रहे थे, तथा अपने जेहन में रणनीतिसिंह को रण रहे थे। उनकी चेतना में धर्मिण की भावना हिमारे से रहो थी। वे मादात मध्ययुग में पहुच चुके थे। जहाँ व्यक्ति निर धम की खातिर ओता है और धम की खातिर मरता है।

उपन्यास के अंत में, सगब फिर ग, गाँव में शहर की ओर मोड़ता है और

साम्प्रदायिक दंगों में हुए नुकसान का जायजा लेने की कोशिश करता है। वह छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से विभाजन से पीड़ित व्यक्तियों की मन स्थिति का सामने आने की कोशिश करता है। कोई अपनी खोई हुई बेटी का पता लगाना चाहता है तो कोई वापस अपने गांव जाना चाहता है जिससे वह अपना गढ़ा हुआ सोना ला सके। अंत में, लेखक साम्प्रदायिक समस्याओं को खोजने की कोशिश करता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी में मिलाकर। अमन कायम करने के लिए जाबम शहर का दौरा करने वाली है उस पर लीग और कांग्रेस के झड़े साथ साथ लग हैं। लेकिन लेखक के लिए समस्या का समाधान प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है साम्प्रदायिक दंगों के तीव्रतम स्वरूप को हमारे समक्ष रखना। साथ ही लेखक यह भी सचेत कर देता है कि जो तत्त्व साम्प्रदायिक दंगों को प्रारम्भ करवाते हैं, वही तत्त्व अमन कायम करने में पहल करते हैं। अमन स्थापित करने के लिए खाना होने वाली बस में पहले से बैठा हुआ कोई व्यक्ति—हिंदू मुस्लिम एक हो, हिंदू मुस्लिम इत्हाद जिदाबाद, अमन बमेटी जिदाबाद के नारे लगाता है। यह नारे लगाने वाला कौन है? लेखक इसके बारे में स्पष्ट कर देता है, 'लोगों ने झाककर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से ही बठकर आया था और लाउडस्पीकर पर नारे लगा रहा था। ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना। कुछेक ने पहचान लिया। नत्थू मर चुका था करना वह मौजूद होता तो पहचानने में देर न आती। मुराद अली था। काले-काल चेहरे और कटीली मूछों वाला मुराद अली जिसकी पतली सी छड़ी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आख से दाएं बाएं दखे जा रहा था और लाउडस्पीकर में से नारे गूज रहे थे।' यानी वही मुराद अली जिसके बहने से नत्थू ने सूअर मारा था, वही मुराद अली अमन कायम करने के लिए पहल करता है।

कुल मिलाकर यह उप-यास विभाजन से उत्पन्न तमाम सदमों को, मन-स्थितियों को, संवेदनाओं को, अपनी पूर्ण पहचान के साथ सामने रखता है। 'झूठा सच' के बाद विभाजन का जितना प्रामाणिक चित्रण इस उप-यास में हुआ है उतना अन्य किसी कृति में नहीं हो सका है। इसका कारण है कि भीष्म साहनी स्वयं विभाजन की यंत्रणा से गुजरकर निकले हैं और इसीलिए उनके अनुभव इस उप-यास को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

### आधा गांव

आधा गांव मूल रूप से 'आचलिक' उप-यास है। इस आचलिक उप-यास में लेखक, अक्षय विशेष पर पड़े विभाजन के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। विभाजन की यंत्रणा प्रत्यक्ष रूप से उन गांवों और उन शहरों के निवासियों को

भोगनी पड़ी जहाँ पर आवादी की अदला बदली हुई। गगोली में आवादी की फेर-बदल नहीं हुई इसलिए वहाँ के मुसलमान अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन के शिकार हुए। गगोली गाजीपुर शहर से 12 मील की दूरी पर स्थित है, गाजीपुर में भी विभाजन से उत्पन्न समस्याएँ विकराल रूप में सामने नहीं आ पाईं, इसलिए दूर गगोली में रहने वाले मुसलमान, पाकिस्तान के बारे में, जिना के बारे में, कसबतों में हुए साम्प्रदायिक दंगों और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग के बारे में केवल सुनते थे लेकिन पाकिस्तान क्यों बन रहा है, कहा बन रहा है, कैसे बन रहा है, इन तथ्यों से परिचित नहीं थे। वे तो बस अपनी गगोली की जानत थे जो बाप-दादाओं के जमाने से उही की है।

आधा गाँव में लेखक ने, शिया मुसलमानों के दम परिवारों की कथा कही है और यह कथा 1937 से लेकर 1952 तक चलती है। इस साल की प्रमुख घटनाओं—1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव, भारत छोड़ो आन्दोलन, मुसलमानों के डायरेक्ट एक्शन डे, देश का विभाजन, साम्प्रदायिक दंग, हिंसक वातावरण, नये संविधान की स्थापना और जमींदारी प्रथा की समाप्ति—के परिप्रेक्ष्य में गगोली के शिया मुसलमानों की कथा कही है।

लेखक ने इस उपन्यास में विभाजन की राजनीति का विरोध किया है कि गगोली का कोई भी मुसलमान न तो पाकिस्तान के पक्ष में है और न ही गगोली छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहता है। पाकिस्तान की राजनीति को राही मासूम रखा ने अनीगढ़ के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया है। ये विद्यार्थी लीग की राजनीति का प्रचार करते हैं और गाँव के निरोह मुसलमानों के जेहन में यह बिठाने की कोशिश करते हैं कि यदि पाकिस्तान न बना तो सारे मुसलमानों को हिंदुओं की कृपा के अधीन रहना पड़ेगा इसलिए मुस्लिम लीग को बोट दना उनका मजहबो फज है। लेकिन गाँव के किसी भी मुसलमान को पाकिस्तान की राजनीति समझ में नहीं आती और जो लोग इसे समझते, वे इस गलत जोर अनुचित बताते। फुन्न मिया मानते हैं कि पाकिस्तान आकिस्तान पेट भरन क खेल है। लेखक ने उपन्यास के अनेक पात्रों के माध्यम से पाकिस्तान का विराध करवाया है। तनू—जो दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सेना में था—पाकिस्तान का विरोध करता है क्योंकि उसने युद्ध के दौरान होने वाले नरसंहार को अपनी आँखों से देखा है और वह नहीं चाहता कि वही नरसंहार पुन दोहराया जाय। उसके अनुसार, 'पाकिस्तान की माँग का कोई औचित्य नहीं है। यह माँग सिर्फ हिंदुओं के प्रति नफरत और आशंका के कारण की जा रही है। वह मानता है कि नफरत और खौफ की बुनियाद पर बनने वाली कोई भी चीज मुबारक नहीं हो सकती।' पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग फुन्न मिया को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वे लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान





मुस्लिम सत्ता राजगज चला रही थी, तब तब मुसलमानों का अल्पसंख्यक हानि का बाध न हुआ। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को विशेष गुविधाएँ दिए जाने के कारण भी यह इम तथ्य न परिचित न हो सके। लेकिन ज्यों ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन म तीव्रता आनी गई, त्यों त्यों उनके मन म अल्पसंख्यक होने का गान बढ़ता गया।

इसके साथ-साथ लेखन पाकिस्तान के कारण सामाजिक सम्बन्धों म आये बदलाव को भी रेखांकित करता है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान स न सिर्फ हिन्दू और मुसलमानों के सम्बन्धों म बदलाव आया बल्कि जीवन के तमाम सदर्भों म भी परिवर्तन हुआ। हकीम साहब को महसूस होता है कि 'ई' पाकिस्तान तो हिन्दू मुसलमान को अलग करे को बना रहा। बाकी हम त ई दरत रह कि ई मिपा बीबी, बाप बेटा और भाई-बहन का अलग कर रहा है।' तैलक यह भी मानता है कि पाकिस्तान बनने स पहल लोग बलवत्ता जात थे, बम्बई और ढाका जाते थे, परंतु मोहरम के अवसर पर अवश्य आते थे लेकिन पाकिस्तान स कोई वापस नहीं आता था तो पाकिस्तान क्या मृत्यु देश है? यह प्रश्नवाचक चिह्न गिया मुसलमानों की मानसिकता को बखूबी उभारता है। प्रथम अध्याय मे लेखक कहता है कि यह कहानी स पूछिए तो उन गुन्गारों की है या शायद उन बच्चों की है जो अपने गुन्गारों की तलाश कर रहे हैं और जिन्ह यह नहीं मालूम कि डोर टूट जाने स गुन्गारों का अजाम क्या हागा? इसीलिए गगली के मुसलमान अपने बच्चों को पाकिस्तान जात देखकर दुखी हैं और इसीलिए उपन्यास के अंत म हकीम साहब पाकिस्तान जाने वालों का नामत भेजत हैं, 'ए रुदन, तू हम छोड दियो, हम कह रहें कि छोड दियो तू अपने बाप को छोड दिया ता का हमह अपने बाप को छोड दे? मालूम यह स्थिति लगभग प्रत्येक भारतीय मुसलमान परिवार की भोगनी पडी जो अपनी जमीन जायदाद के कारण पाकिस्तान नहीं गए लेकिन अपने बेटों का पाकिस्तान जाते देखकर दुखी हुए।

उपन्यास मे पाकिस्तान के पक्ष म बही लोग दिखाई देते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे हुए हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान बनने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। गांव के जुलाहे सुन्नी मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष म हैं। इसके विपरीत वे लोग जो जमींदार हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है। वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि पाकिस्तान मे वे जमींदार नहीं कहलवाते पर जब जमींदारी ही खत्म हो गई तो इन लोगों के आर्थिक आधारों की बुनि पादों ही हिल गई। ऐसी स्थिति म ध्वस्त होते हुए परिवारों की बडी बूढियों ने गिडगिडाकर दुआएँ मागी कि अंग्रेज लौट आए। हर नभाज मे कांग्रेस को बद-दुआएँ दी गईं। 'अरे ई कांग्रेस माटीमिली, इह क कोड हो जाए। इह की मिट्टी

खराब हो लेकिन न दुआए कबूल हुईं न बददुआए।' सदियों से रहने-बसने और जीने वाले मिया लोगो ने देखा कि जिस गाव को वे अपना कहते और समझते आए थे उस गाव से उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया था। अपनी ध्वस्त होती हुई आबरू को बचाने के लिए कराची गए। गंगोली में उन्हें सब जानते थे इसलिए वे वहाँ पान की दुकान नहीं खोल सकते थे, लेकिन कराची में उन्हें कौन जानता था इसलिए, वे वहाँ कोई भी काम करने में नहीं क्षिप्तके।

पाकिस्तान की भाग को लेकर तथा कांग्रेस और लीग के बढ़ते हुए विरोध के कारण साम्प्रदायिक दगे हुए। ये दगे गंगोली से दूर, दिल्ली, कलकत्ता या अन्य शहरों में हुए, पर गंगोली वाले इन दगों के बारे में सुनते हैं और आश्रीष में आते हैं। राही ने स्पष्ट कर दिया कि इन दगों का स्वरूप धार्मिक नहीं था। हिंदू और मुसलमान के बीच होने वाले झगड़े साम्प्रदायिक झगड़े नहीं थे बल्कि ये फौजदारी के झगड़े थे। राही स्वयं साम्प्रदायिकता के कारणों के बारे में कहते हैं, 'यह साम्प्रदायिकता हमारी पिछड़ी हुई आर्थिक स्थितियों की देन है इसलिए उसे हिंदू या मुसलमान में बाटना गलत है। हिंदू साम्प्रदायिकता या मुस्लिम साम्प्रदायिकता सहकर हम कुल मिलाकर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा ही देते हैं। जरूरत, साम्प्रदायिकता से लड़ने की है और यह लड़ाई हिंदू या मुसलमान में बाटकर नहीं लड़ी जा सकती। समझना यह भी जरूरी है कि साम्प्रदायिकता जीवन में आर्थिक असुरक्षा की देन है।

जिन शिया परिवारों की कहानी लेखक इस उपन्यास में कहता है उन परिवारों की स्थिति पाकिस्तान बनने में बहुत न्यनीय हो गई थी। न तो वे अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर पाकिस्तान जा सके और न ही समय की आवश्यकता के अनुसार स्वयं का ढाल सके। शिया मुसलमान होने के कारण भारत में रह गए और मुसलमानों की नजर में वे सदियग हो गए। बाद में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। उनके जीवन का एकमात्र आधार जमींदारी थी और जमींदारी खत्म हो जाने से वे अपने ही घर पर निराश्रम हो गए। गंगोली में 10 शिया परिवारों की जमींदारी खत्म हो गई, अनेक लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए, बुजुग मर गए लेकिन लेखक हताश नहीं है। वह बीत हुए समय पर आसू नहीं बहाना चाहता, वह भविष्य के प्रति आस्थावान है। विभाजन के कारण और जमींदारी उन्मूलन के कारण एक तरफ लेखक जीवन मूल्यों में आई निरथकता और खोखलेपन को रेखांकित करता है और दूसरी तरफ आने वाले भविष्य के सपने भी सजीता है। उपन्यास के अंत में लेखक दिखाता है कि एक छोटा-सा बच्चा, बस्ता बगल में दबाए, भागत हुआ स्कूल जा रहा है, वह गिरता है लेकिन फिर उठकर भागने लगता है। इसके माध्यम से लेखक कहना यह चाहता है कि 'शिक्षा' ही देश की प्रतिक्रिया

मुस्लिम सत्ता राजगज चला रही थी, तब तब मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने का बाध न हुआ। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को विशेष सुविधाएँ दिए जाने के कारण भी यह इस तथ्य में परिवर्तन न हो सके। लेकिन जवा जवा राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आनी गई, तब तब उनके मन में अल्पसंख्यक होने का शान बढ़ता गया।

इसके बाद बाद लेखक पाकिस्तान के कारण सामाजिक सम्बन्धों में आये बदलाव को भी रेखांकित करता है। उसमें स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में न सिर्फ हिन्दू और मुसलमानों के सम्बन्धों में बदलाव आया बल्कि जीवन के तमाम सदर्भों में भी परिवर्तन हुआ। हकीम साहब को महसूस होता है कि 'ई पाकिस्तान तो हिन्दू मुसलमानों को अलग केरे का बना रहा। बाकी हम त ई दख रहे कि ई मिया-बीबी, बाग बेटा और भाई-बहन का अलग कर रहा है। लेखक यह भी मानता है कि पाकिस्तान बनने में पहले लोग बलवत्ता जाते थे, धम्बई और डाका जाते थे, पर तु मोहरम के अवसर पर अवश्य आते थे लेकिन पाकिस्तान से कोई वापस नहीं आता था तो पाकिस्तान क्या मृत्यु देश है? यह प्रश्नवाचक चिह्न शिया मुसलमानों की मानसिकता को बखूबी उभारता है। प्रथम अध्याय में लेखक कहता है कि यह कहानी सत्र पूछिए तो उन गुन्धारों की है या शायद उन बच्चों की है जो अपने गुन्धारा की तलाश कर रहे हैं और जिन्हें यह नहीं मालूम कि डार टूट जाने से गुन्धारों का अजाम क्या होगा? इसीलिए गगाली के मुसलमान अपने बच्चों का पाकिस्तान जात देखकर दुखी हैं और इसलिए उप-यास के अंत में हकीम साहब पाकिस्तान जाने वालों का शानत भेजते हैं, 'ए रदन, तू हम छोड़ दिया, हम कह रहे हैं कि छोड़ दियो तू अपन बाप को छोड़ दियो तो का हमहूँ अपन बाप को छोड़ दें? नाएलक 'यह स्थिति लगभग प्रत्येक भारतीय मुसलमान परिवार को भोगनी पडी जो अपनी जमीन-जायदाद के कारण पाकिस्तान नहीं गए लेकिन अपने बेटों का पाकिस्तान जाते देखकर दुखी हुए।

उप-यास में पाकिस्तान के पक्ष में वही लोग दिखाई देते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान बनने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। गाव के जुलाहे, सुन्नी मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में हैं। इसके विपरीत वे लोग जो जमींदार हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं। वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि पाकिस्तान में वे जमींदार नहीं कहलवाते पर जब जमींदारी ही खत्म हो गई तो इन लोगों के आर्थिक आधारों की बुनि यादें ही हिल गई। ऐसी स्थिति में ध्वस्त होत हुए परिवारों की बड़ी बूढ़ियों ने गिडगिडाकर दुआएँ मागी कि अंग्रेज लौट आए। हर नमाज में कांग्रेस को बद-दुआएँ दी गई। 'अरे ई कांग्रेस माटीमिली, इह क कोड हो जाए। इह की मिट्टी

खराब हो लेकिन न दुआए बबूल हुईं न बददुआए।' सदियों से रहने-बसने और जीने वाले मिया लोगो ने देखा कि जिस गाव को वे अपना कहते और समझते आए थे उस गाव से उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया था। अपनी ध्वस्त होती हुई आबरू को बचाने के लिए कराची गए। गगोली में उन्हें सब जानते थे इसलिए वे वहां पान की दुकान नहीं खोल सकते थे, लेकिन कराची में उन्हें कौन जानता था इसलिए, वे वहां कोई भी काम करने में नहीं झिझके।

पाकिस्तान की मांग को लेकर तथा कांग्रेस और लीग के बढ़ते हुए विरोध के कारण साम्प्रदायिक दंगे हुए। ये दंगे गगोली से दूर, दिल्ली, कलकत्ता या अन्य शहरों में हुए, पर गगोली वाले इन दंगों के बारे में सुनते हैं और आक्रोश में आते हैं। राही ने स्पष्ट कर दिया कि इन दंगों का स्वरूप धार्मिक नहीं था। हिंदू और मुसलमान के बीच होने वाले झगड़े साम्प्रदायिक झगड़े नहीं थे बल्कि ये फौजदारी के झगड़े थे। राही स्वयं साम्प्रदायिकता के कारणों के बारे में कहते हैं, 'यह साम्प्रदायिकता हमारी पिछड़ी हुई आर्थिक स्थितियों की देन है इसलिए उसे हिंदू या मुसलमान में बांटना गलत है। हिंदू साम्प्रदायिकता या मुस्लिम साम्प्रदायिकता सहकर हम कुल मिलाकर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा ही देते हैं। जरूरत, साम्प्रदायिकता से लड़ने की है और यह लड़ाई हिंदू या मुसलमान में बांटकर नहीं लड़ी जा सकती। समझना यह भी जरूरी है कि साम्प्रदायिकता जीवन में आर्थिक असुरक्षा की देन है।

जिन शिया परिवारों की कहानी लेखक इस उप-यास में कहता है उन परिवारों की स्थिति पाकिस्तान बनने से बहुत दयनीय हो गई थी। न तो वे अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर पाकिस्तान जा सके और न ही समय की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को ढाल सके। शिया मुसलमान होने के कारण भारत में रह गए और मुसलमानों की नजर में वे सदिग्ध हो गए। बाद में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। उनके जीवन का एकमात्र आधार जमींदारी थी और जमींदारी खत्म हो जाने से वे अपने ही घर पर निराश्रय हो गए। गगोली में 10 शिया परिवारों की जमींदारी खत्म हो गई, अनेक लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए, ब्रजुग मर गए लेकिन लेखक हताश नहीं है। वह बीते हुए समय पर आंसू नहीं बहाना चाहता, वह भविष्य के प्रति आस्थावान है। विभाजन के कारण और जमींदारी उन्मूलन के कारण एक तरफ लेखक जीवन मूल्यों में आई निरथकता और खोखलेपन को रक्षाकित करता है और दूसरी तरफ आने वाले भविष्य के सपने भी सजोता है। उप-यास के अंत में लेखक दिखाता है कि एक छोटा-सा बच्चा, बस्ता बगल में दबाए, भागता हुआ स्कूल जा रहा है, वह गिरता है लेकिन फिर उठकर भागन लगता है। इसके माध्यम से लेखक कहना यह चाहता है कि 'शिक्षा' ही देश की प्रतिक्रिया-

वादी राजनीति द्वारा फैलाए अवसाद को दूर कर सकती है और समाज में परिवर्तन ला सकती है और यह परिवर्तन आने वाली पीढ़ी लाएंगी जो स्कूल जाते समय रास्ते में गिर तो पड़ती है, लेकिन आने लक्ष्य से डगमगाती नहीं।

### एक पछुड़ी की तेज धार

धर्मशेरसिंह नरूला का उपन्यास 'एक पछुड़ी की तेज धार' विभाजन के फलस्वरूप विकसित सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों को और साम्प्रदायिक दंगों के मूल में काम कर रही राजनीति को सामने लाता है। उपन्यास शरणार्थियों की समस्या से प्रारम्भ होकर गांधी जी की हत्या तक जाकर समाप्त हो जाता है। इस दौरान हुई साम्प्रदायिक हिंसा का लेखक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है और उन शक्तियों के चरित्र को सामने लाता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए साम्प्रदायिक दंगे करवाती हैं। लेखक उन विदेशी शक्तियों के चरित्र को भी उद्घाटित करता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए दंगे करवाती हैं और देशी शक्तियों के साथ मिलकर नेहरू सरकार को उलटने का षडयंत्र करती हैं। उपन्यास के प्रमुख पात्र गिबशकर बोहली को अंत में महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे काम कर रही है।

विभाजन के फलस्वरूप दोनों देशों की सरकारों को, शरणार्थियों समस्या का सामना प्रमुख रूप से करना पड़ा। कराकासा के लिए आजीविका और आवास की व्यवस्था करना एक जटिल काम था। दोनों देशों की सरकारों ने इस दिशा की ओर जो भी प्रयत्न किए वे सतोपजनक और पर्याप्त नहीं थे। कम्पों में शरणार्थियों की हालत अत्यधिक दयनीय थी। पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आने वाले शरणार्थियों का क्षोभ और व्यथा पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों की अपेक्षा अधिक तीव्र था, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थी अपने यहाँ से एक अच्छे इलाके में पहुँचे थे जबकि हिन्दुस्तान आने वाले शरणार्थी एक अच्छे इलाके से काफी खराब और गरीब इलाके में आए थे। इसलिए इनकी मानसिक यत्रणा अधिक जटिल थी। नरूला ने अपने उपन्यास में इन शरणार्थियों की दयनीय हालत का व्यापक चित्रण किया है। कम्पों की दंगा इतनी बेकार थी कि लोगो को अपना जीवन हमेशा असुरक्षित महसूस होता है। देश के नेताओं ने आजादी के लिए आवादी की अदला बदली तो स्वीकार कर ली थी, परन्तु विस्थापित जनता के भविष्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसके फलस्वरूप उनकी आस्था पर प्रश्नचिह्न लग गया था। वे सोचने लगे थे कि क्या वे फुटपाथों पर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्या उनकी बेटीयाँ फुटपाथों पर ही होनियाँ चढ़ेंगी। जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण के कारण ही उनमें गहरी निराशा उत्पन्न हो चुकी थी और इस निराशा का हल या तो अपने भाग्य में

सलाहते या फिर ईश्वर की इच्छा में। उनके पास जो कुछ भी जमा पूजा थी वह पाकिस्तान में छूट गई थी। स्वतंत्र भारत में वे कगल होकर लौटे थे।

हिंदू अपनी दुरावस्था का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराते थे और लाहौर में अपने सम्बन्धी की हत्या का बदला, अमृतसर में मुसलमानों को मारकर लेते थे। दोनों सम्प्रदाय के लोगों ने रेलगाड़ियों पर सामूहिक रूप से आक्रमण किए जो कि विभाजन का सबसे दुखदायी पहलू था। इन हत्याओं के चित्र लेखकों ने अनेक स्थानों पर प्रस्तुत किए हैं।

साम्प्रदायिक तनाव को तीव्र करने की जिम्मेदारी आर० एस० एम० और हिंदू महासभा पर थी। इन गस्थाओं ने हिंदुओं को राष्ट्रवाद के नाम से भड़काया। लेखकों ने उप-यास में इन गस्थाओं के फासिस्ट चरित्र को सामने रखा और स्पष्ट कर दिया कि इन गस्थाओं की वजह से ही साम्प्रदायिक उत्तेजना बढ़ी। कम्पों में इन गस्थाओं ने अफवाह फैलायी कि 'मुसलमानों ने जामा मस्जिद के पास एक हिंदू की पीठ में छुरा भोका दिया है। पुलबगश में मुसलमानों ने एक हिंदू लड़की को छिपा रखा है जिस पाकिस्तान भिजवाने की कोशिश में है और पुलिस उस लड़की का पता लगाने में मदद नहीं कर पा रही है। फाटक हम्श खा में मुसलमानों ने बम इकट्ठे कर रखे हैं और उन्होंने शहर को तहस-नहस कर देने की धमकी दी है। नेहरू चाहते हैं कि मुसलमानों को आत्मरक्षा के लिए अधिकार दिए जाए लेकिन सरदार पटेल नहीं मानते। इस प्रकार की अफवाहों को समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर साम्प्रदायिक उत्तेजना को फैलाने में मदद की गई। नेहरू सरकार का विरोध करना और मुसलमानों के प्रति घणा फैलाना इन अखबारों की मूल नीति थी। 'देशभक्त' में नौकरी पाते ही चमनलाल को यह महसूस हो जाता है कि अखबार में नौकरी बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि समाचारों को इस तरह पेश किया जाए कि वे लोगों को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाए और उनकी नजरों में कांग्रेसी नेताओं के वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता व सामान्य घटनाओं को साम्प्रदायिक रंग दिया जाता। गाड़ियों में कलत्राज की जिम्मेदारी मुसलमानों के सिर मन्ती जाती और साथ में यह भी जोड़ दिया जाता कि मुसलमानों ने बाफी सख्या में हथियार एकत्रित कर रखे हैं। कांग्रेस विरोध और मुसलमानों के अत्याचारों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने में इन गस्थाओं के अखबार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे थे। यदि एक अखबार हिंदू की सामान्य मौत को साम्प्रदायिक रंग देकर छापता तो दूसरा अखबार अपनी बिन्नी बढ़ाने के लिए हिंदुओं को आगाह करता कि मुसलमान, पाकिस्तान की सीमा दिल्ली तक लाने का पड्यत्र कर रहे हैं। 'देशभक्त' अखबार तो अपनी आवश्यकतानुसार साम्प्रदायिक खबरें गढ़ भी लिया करता था। विद्वेष को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति दो अलग-अलग नामों

से अखबार निकालता था और एक शेर खालसा, जो अपन आपसो गिखों का प्रतिनिधि कहता था और दूसरा बजरंग बली जो हिंदुआ को सिखों के विरुद्ध उत्तेजित करता था।' इन तमाम अफवाहों के कारण शरणार्थियों की मानसिक चेतना पर विपरीत असर हुआ और 'मुसलमानों को पाकिस्तान मार भगाओ' की आवाजें शरणार्थी कैंपों से आने लगीं।

नेहरू सरकार का तख्ता पलटने के लिए इन सस्थाओं ने विदेशी शक्तियों की सहायता ली और इसके लिए शिवशंकर कोहली जैसे पात्रों को चुना गया। जो झूठ और फरेब का सहारा लेकर राजनीति में प्रवेश करता है और 'आल इण्डिया रिफ्यूजी वेलफेयर एसोसिएशन' बनाता है। इस एसोसिएशन के माध्यम से ये सस्थाएं गांधी जी का विरोध करवाती हैं और इसके लिए अपार धन खर्च करती हैं। नेहरू सरकार का विरोध करने के लिए ये शक्तियां एक ओर जन-प्रदर्शनों का सहारा लेती हैं और दूसरी ओर ज्योतिषियों द्वारा यह कहलवाने की भी कोशिश करती हैं कि नेहरू सरकार का पतन शीघ्र हो जाएगा। ये शक्तियां कोहली को एक ऐसा ज्योतिषी खोज लाने के लिए अपार धन देती हैं जो यह कह सके कि 'तीसरा विश्व युद्ध 1948 में रूस के द्वारा शुरू होकर उस वक अमरीका की जीत से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ज्योतिषी यह भी बहे कि पण्डित नेहरू के लिए 1948 का वक अत्यंत कष्टकारी है, यह इतने भारी है कि उनके जीवन के लिए घातक हो सकते हैं।' इस प्रचार का उद्देश्य जनता की मानसिकता को एक नया रूप देना था। कोहली यद्यपि इन सस्थाओं की सहायता करता है, लेकिन अंत में वह महसूस करता है कि विदेशी ताकतें देशी ताकतों

आर० एस० एस० और हिंदू महासभा के साथ मिलकर नेहरू सरकार को गिराने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इन सस्थाओं के फासिस्ट चरित्र को लेखक ने बड़ी बारीकी से प्रस्तुत किया है और गांधी की, हत्या की जिम्मेदार शक्तियों के चरित्र को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है।

उप-यास में यह स्वर बहुत ही मुखर रूप से अभिव्यक्त हुआ कि गांधी जी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका अदा की। लेखक ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि स्वतंत्रता दिलवाने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इसलिए वह एक पखुड़ी है जो कोमल है लेकिन बहुत प्रखर है। इतनी प्रखर कि उसने आह्वान से सारा देश उठ सकता है।

इस प्रकार उप-यास, विभाजन के दौरान साम्प्रदायिक दंगों को लेकर गांधी जी की हत्या तक की स्थितियों को सामने रखता है। उप-यासकार इन स्थितियों का विवेचन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में करता है और घटनाओं के अन्तर्विरोधी स्वरूप को उदघाटित करता है। इसलिए यह उप-यास विभाजन के संभव में

लिखे गए अथ उपन्यासों से भिन्न है। भिन्न इस अर्थ में कि अथ उपन्यासकारों ने इन स्थितियों की जिम्मेदार शक्तियों की तलाश अपने देश में ही की जबकि रामनर सिंह नख्खा ने इन देशी शक्तियों के विदेशी शक्तियों से सम्बंध का भी उदघाटित किया है।

### लौटे हुए मुसाफिर

'लौटे हुए मुसाफिर' विभाजन के सदस्य में लिखा गया विशिष्ट उपन्यास है। विशिष्ट इसलिए कि जहाँ भीष्म साहनी, यगपाल, राही मागूम रजा मध्य-वर्ग और निम्न मध्यवर्ग के जीवन को विभाजन के संदर्भ में देखते हैं वहाँ कमलेन्दर मजदूरों व अपनी राजी रोटी के लिए सघष करते लोगों के जीवन को विभाजन के संदर्भ में देखते हैं। ये लोग पाकिस्तान का अर्थ नहीं जानते लेकिन पाकिस्तान के कारण उत्पन्न हुई नफरत के शिकार अवश्य होते हैं।

उपन्यास में लेखक ने चको की बस्ती की कहानी कही है जिसमें सदियों से हिन्दू और मुसलमान परस्पर भाईचारे, प्रेम और सद्भावना से रहते चले आ रहे थे, लेकिन विभाजन के बाद यह बस्ती उजड़ गई, क्योंकि इसमें नफरत, शक, बदहवासी फैल चुकी थी। इसके बारे में लेखक लिखता है, 'इस शहर में एक बूढ़ खून नहीं गिरा, किसी मोहल्ले पर घावा नहीं हुआ, किसी ने किसी को नहीं मारा, किसी ने किसी को गाली तक नहीं दी, मस्जिदों में सड़ाई की तयारिया नहीं हुईं मंदिरों में डंट पत्थर इकट्ठे नहीं हुए, जो बदमाश रोज पिटते थे उन्हें भी किसी ने नहीं पीटा। लेकिन भीतर-ही भीतर एक बड़ा भूचाल आ गया। बड़ा भयानक भूचाल, जिससे बस्ती की चूल्हें हिल गईं और भीतर-ही भीतर कुछ बिगड़ गया था। किसी इमारतें ढह गई थीं। अपनेपन का जज्बा मर चुका था। नफरत की आग ने इस बस्ती को निगल लिया था।' यह नफरत की आग फली कैसे? इसके लिए लेखक 'इतिहास' में जाता है और बताता है कि 1857 में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हुए थे। उस समय दोनों मिल-जुल कर रहते थे। एक-दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, लेकिन विद्रोह के बाद धीरे-धीरे ये नफरत की चिंगारिया उदित हुईं और 1947 में अपनी चरम परिणति पर पहुँची।

देश का मामूली मुसलमान, पाकिस्तान की अवधारणा से परिचित नहीं था। वह वहाँ बन रहा है क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इन सबसे वह अनभिज्ञ था। लौटे हुए मुसाफिर मुसलमान पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, वे तो सिर्फ इतना जानते हैं कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जो मुसलमानों को लकिन नमाज नहीं पढ़ता। बस्ती में पाकिस्तान का प्रचार अलीगढ़ से आने वाला सियासी कारकून करता है। वह इन मुसलमानों को



बताता है कि मुसलमानों के लिए अलग से एक नया मुल्क बसाने के लिए सघर्ष चल रहा है जिसमें सभी मुसलमान पूणत सुखी रहेंगे। वह कांग्रेस को हिन्दू जमात बहकर उसकी निंदा करता है। यह सियासी कारकून उन मुसलमानों के जेहन में यह बिठाने की काशिया करता है कि पाकिस्तान लेने के लिए हमें कुर्बानिया देनी हागी। लेकिन बस्ती के मुसलमान उसकी इन बातों में नहीं आते। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि असली लड़ाई अमीरी और गरीबी की है।

पाकिस्तान बनने की माग 1940 में उठी और 1947 में अपनी चरम परिणति पर पहुची। इसी के समानांतर ही साम्प्रदायिक तनाव देश में विकसित हुआ जिसके लिए एक तरफ मुस्लिम लीग 'इस्लाम खतरे में है' की दुहाई देती रही तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व हिन्दू महासभा, हिन्दू राष्ट्र व हिन्दू धर्म का गुणगान करते रहे। ज्यों त्यों मुस्लिम लीग की तरफ से पाकिस्तान की माग जोर पकड़ती गई त्यों त्यों आर० एस० एस० शिवाजी और महाराणा प्रताप की कुर्बानियों को याद दिलाकर साम्प्रदायिक उत्तेजना और मुसलमानों में नफरत फैलाने का काय करती रही। इस सदम में लेखक लिखता है 'हिन्दू राष्ट्र ने आज तीसरी आख खोली है। वे सब इसमें भस्म हो गए जा विदेशी हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम शेरों की औलाद हैं। शिवाजी, महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई की सतान हैं। बहादुरी में ताकत है और बहादुर वही है जो हिन्दू है।' आर० एस० एस० के इस आह्वान से दहशतपूर्ण वातावरण सामने आया। उप-यास में लेखक साम्प्रदायिक दंगों के दौरान हुई हिंसा का वर्णन नहीं करता लेकिन साम्प्रदायिक दंगों के कारणों का संकेत अवश्य करता है।

बस्ती में साम्प्रदायिक तनाव धीरे धीरे विकसित होता है और एक दिन इतना बढ़ जाता है कि अचानक लोग अपना कारोबार जल्दी-जल्दी बंद करने लगते हैं एक-दूसरे से बिना दुआ-सलाम किए निकल जाते हैं, तब हिन्दू मुसलमान के तांगे में नहीं बैठता। बाहर से तो ये तमाम लोग सदभावना प्रकट करते हैं, पाकिस्तान को लेकर हो रही घटनाओं पर चिन्ता प्रकट करते हैं लेकिन अदर-ही-अदर दो दायरों में बंट चुके होते हैं। वे प्रेम, इंसानियत, भाईचारे सबको भुलाकर सिर्फ हिन्दू या मुसलमान रह जाते हैं और इसलिए वे एक-एक करके बस्ती छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में उनके लिए सुविधाएं हैं बल्कि इसलिए कि बस्ती में नफरत और दहशत पहले से ज्यादा तीव्र हो चुकी है।

उप-यास में लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य मुसलमानों का पाकिस्तान के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं है। नफरत के कारण वे बस्ती तो छोड़ देते हैं परंतु पाकिस्तान नहीं जाते। सुबराती आगरा चला जाता है। चमन वही चंगी में चपरासी हो जाता है। वे लोग इस बस्ती को छोड़कर अन्य शहरों

मे चले गए लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और जो लोग पाकिस्तान गए भी वे इस बस्ती को न भुला सके। इसीलिए तीन बरस बाद इफ्तिकार-मेला देखने के बहाने हिंदुस्तान आता है और तब इस बस्ती में भी आता है। 14-15 सित्तु बाद बशीर, बाबर, रमजानी, फतह वापस इसी बस्ती में आते हैं—मजदूरी—करने। जिन घरों को नफरत के कारण उनके बुजुर्ग छोड़ गए थे उहीं घरों में वे फिर आकर बसना चाहते हैं। पाकिस्तान इही मजदूरी के लिए विडम्बना बन गया। यह विडम्बना दो चार लोगों को नहीं बरन् हजारों-लाखों लोगों को भोगनी पड़ी, जो अपने घर से भी उजड़ गए और पाकिस्तान जाकर भी अस्थिर नहीं हो पाए।

### काले कोस

विभाजन का सबसे बड़ा अभिशाप देश की उस जनता को भोगना पड़ा जो मूलतः गांवों में रहती थी और 'पाकिस्तान' जैसे राजनतिक शब्दों को नहीं समझती थी। शहरों में उत्तम बड़े स्तर पर साम्प्रदायिक दंगे लूट-मार और मार-काट नहीं हुई जितनी कि गांवों में हुई। पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहां सिर्फ मुसलमान रहते हों या सिर्फ हिंदू। सबसे ज्यादा विकट स्थिति वहां उत्पन्न हुई जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आ रहे थे और उनमें परस्पर भाईचारा था।

बलवन सिंह उम चारगाव—मागट, रत्तह, माघचक, झुल्ला—की कहानी कहते हैं जहां हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे थे। चारगाव में रहने वालों के जीवन-व्यापार को लेखक ने विभाजन से पहले और बाद के सदर्थों सहित पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और इसके माध्यम से पाकिस्तान की उस घणास्पद राजनीति का विरोध किया जिसने व्यापक स्तर पर हत्याएं करवाई और दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया।

उप-यास का प्रारम्भ विभाजन से पहले के गांवों में होने वाले जीवन-व्यापार से होता है। चारगाव के हिंदू और मुसलमान समुक्त रूप से मिल-जुल कर रहते चले आ रहे थे। चूंकि चारगाव शेखूपुरा जिले से काफी दूर था इसलिए ये लोग वास्तविक खबरों से अवगत नहीं हो पाते थे और अखबारों में छपी हुई खबरों पर विश्वास करना नहीं चाहते थे क्योंकि अखबारों खबरों को बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करती हैं। यद्यपि लाहौर, कलकत्ता, नोआखली और दिल्ली के साम्प्रदायिक दंगे अपनी पराकाष्ठा पर थे लेकिन चारगाव के हिंदू और मुसलमानों में कोई तनाव नहीं था। वस्तुतः देश के जिन भागों में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए थे वहां पर भी साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था। ऐसे स्थानों पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से सशक्त रहने लगे थे और भीतर ही भीतर दूसरे सम्प्रदाय से अपनी सुरक्षा के प्रयत्न करने लगे थे। चारगाव में तब

करीमू के आने से पैदा होता है जिसकी विरसासिंह से व्यक्तिगत दुश्मनी है। इस दुश्मनी को करीमू साम्प्रदायिक रंग देता है और अपने सम्प्रदाय वालों की सहायता से विरसासिंह से बदला लेना चाहता है। इसके लिए वह गांव के तमाम मुसलमानों को सिखों के खिलाफ भड़काता है और दलील देता है कि जो आखली में हिंदुओं ने मुस्लिम औरतों पर अत्याचार किए इसलिए मुसलमानों का यह मजहबी फज है कि वे इस अपमान का बदला लें। लेखक स्पष्ट कर देता है कि ये दंगे एक निश्चित योजना के तहत करवाए जा रहे थे और इस योजना के धीरे-धीरे पहले से ही बी बी दिए गए थे, व्यापक प्रचार द्वारा किसान मजदूर और गरीब जनता की धार्मिक भावना को उभारा गया था। लेखक, साम्प्रदायिक दंगों के मूल में काय कर रही राजनीति को उदघाटित करता है। सूरतसिंह के माध्यम से वह कहता है 'जो कुछ हुआ उसमें मुस्लिम जनता का दोष नहीं है। यह सरासर अंग्रेज की शरारत है बल्कि पूंजीवादी अघब्यवस्था की शरारत है जो आज भोली-भाली जनता का ध्यान भूल, प्यास, पूंजी के गलत बटवारे और पूंजीपतियों के अत्याचारों और अत्याचारों की आर से हटाकर उन्हें धम के नाम पर भड़का रही है और एक-दूसरे के खून का प्यासा बना रही है।'

बलवतसिंह साम्प्रदायिक दंगों के कारण चारगाव में विकसित मुस्लिम मानसिकता की ओर भी संकेत करते हैं। यह एक वास्तविक सच्चाई थी कि साम्प्रदायिक दंगों के दौरान गांव के हिंदू और मुसलमानों ने आपस में मार काट नहीं की बल्कि अपने सम्प्रदाय वालों से एक-दूसरे की हिफाजत की। करीमू मुसलमानों को उत्तेजित करता है कि चारगाव में काफ़िरो को रहने का कोई अधिकार नहीं लेकिन गांव के मुसलमान उसकी बातों को नहीं मानते। व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला वह सम्प्रदाय वाला की सहायता से लेना चाहता है। करीमू के समानांतर ही लेखक ने विरसासिंह को खड़ा किया है जो साम्प्रदायिक सम्बंधों में नहीं बरन् सामाजिक सम्बंधों में आस्था रखता है।

'विरसासिंह' उपयास में प्रमुख पात्र के रूप में उभरकर सामने आता है। यद्यपि वह डाके डालता है लेकिन साम्प्रदायिक वातावरण में अपने गांव वालों की सहायता करता है। गांव के हिंदू और मुसलमानों की सुरक्षा के लिए वह स्वयं को खतरे में डालने से नहीं हिचकता।

चारगाव में पेगोरेसिंह जैसे अनेक परिवार 'पाकिस्तान' का अर्थ नहीं समझते लेकिन विभाजन की विभीषिका के शिकार होते हैं। इन लोगों को इनके घरों से अलग कर शरणार्थी कैंपों में फेंक दिया गया। जहाँ 15 दिन तक इतजार करने के बाद अमतसर जाने वाली गाड़ी जाती है जिसमें चारों ओर आत्मियों के बैठने के स्थान पर सकड़ा आदमी भर जाते हैं। विभाजन के दौरान सबसे अधिक त्रासद स्थिति रेलगाड़ियों में उत्पन्न हुई, जहाँ मजहब की आठ म

सामहिक बत्लेआम किया गया। जिस गाड़ी में पेशोरेसिंह का परिवार अमृतसर जाता है वह गाड़ी रास्ते में काट दी गई। शरणार्थियों को सुरक्षित देश की सीमा तक पहुंचाने के लिए जो प्रयत्न सरकार ने किए थे वे इतने कम थे कि प्रभावहीन और निष्प्रिय साबित हुए थे। पूरी गाड़ी की सुरक्षा के लिए तैनात चंद सिपाहियों से न तो दगाई डरे और न ही इन चंद सिपाहियों ने बलवाइयो को रोकने के लिए कोई प्रयत्न किए।

लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की आजादी का सबसे बड़ा मूल्य उस निरौह और भोली जनता को चुकाना पड़ा जो पाकिस्तान का अर्थ नहीं समझती थी और सदियों पुराने अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहती थी। इस जनता से महानुभूति रखकर लेखक पाकिस्तान की राजनीति का विरोध करता है। साम्राज्य मन्त्रियों में यह राजनीति किस हद तक प्रभावशाली हुई इसका सख्त लेखक विरसा और शिराज के सम्बन्धों में माध्यम से करता है।

विरसासिंह और बाबुल सिंह दोनों दोस्त हैं। दोनों मिलकर हाके डालते हैं। दोनों बहुत ही होशियारी से पाकिस्तान की सीमा पार करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान रेल से न जाकर लारियों से जाते हैं और अपने मुसलमान दोस्त मोहम्मद की सहायता से हिंदुस्तान की सीमा पर सुरक्षित पहुंचते हैं। अपने अग्र सिख दास्त के घर शिराज की सुरक्षा की व्यवस्था कर वह सुल्तान की खोज में निकल जाता है। विरसासिंह का सिख दास्त भी अपने धर्मावलम्बियों से शिराज की सुरक्षा करता है लेकिन शाह्य परिस्थितियों के दबाव से वह शिराज को सलाह देता है कि यहां अब ज्यादा दिन रहना खतरों से खाली नहीं है। शिराज अघेरी रात में अपने परिवार सहित पाकिस्तान की तरफ दख करता है। विरसासिंह भी पीछे-पीछे उसके बंदों के चिह्नों को खोजता हुआ उस तक जा पहुंचता है और उसे सुरक्षित पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचाता है। पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचने के पश्चात् शिराज भौंचक्का रह जाता है, 'कहा है वह पाकिस्तान जिसके लिए इतनी मार-काट हुई, कहा है वह पाकिस्तान जिसके लिए उसे अपना पुषतनी घर छोड़ना पड़ा। वही हवा, वही जमीन, वही मिट्टी। शिराज ने क्षितिज से निगाह हटाकर दोनों हाथों में खेत की भुरभुरी मिट्टी को उठाया और वही तल्लीनता से देखता रहा। उसने दबाकर उसके स्पर्श का अनुभव किया। उसने हवा में सूधा। लम्बी चौड़ी जाल की भांति फैली हुई मेडों पर निगाह दौड़ाई जो एक दूसरे को काटती-छाटती घुघले क्षितिज में खो गई थी लेकिन शिराज की निगाहें पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान की मिट्टी, पाकिस्तान की हवा खोज रही थी। पाकिस्तान कहाँ था।' बलवानसिंह ने स्वयं इस मदमें में लिखा है, 'शिराज जब खानदान समेत हिंदुस्तान से भागता है तो आखिरकार यह जानकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वह पाकिस्तान पहुंच गया—

लेकिन फौरन ही वह भौंचक्का रह जाता है—वह समझ नहीं पाता कि असली पाकिस्तान क्या है। इस पलक का मतलब क्या?—वही जमीन, वही आकाश, वही मिट्टी वही तारे।

यह प्रश्न ही उपन्यास में केन्द्रीय रूप से उभरकर सामने आया है। शिराज दूर दूर तक पाकिस्तान की तलाशने की कोशिश करता है। शिराज और विरसा अब दो देशों के वासी बन चुके थे, विरसे ने उसे मीला दूर निगाहें दौड़ाते देख अपनी बाही में समेटने का यत्न करते हुए कहा, 'शिराजू तेरे-मेरे देश में इतनी दूरी नहीं है। तू नाहक इतनी दूर-दूर तक निगाहें दौड़ा रहा है। अब तो तुम पाकिस्तान पहुँच चुके हो, क्या तुम समझे बैठे थे कि पाकिस्तान पहुँचने के लिए नदी पहाड़ फादने पड़ेंगे।'

इस प्रकार 'काले कोस' उस साम्राज्यवादी साजिश का विरोध करता है जिसके तहत लाखों लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। उपन्यास में लेखक का उद्देश्य यह दिखाता है कि साम्प्रदायिक वातावरण और मजहबों की कट्टरता के बावजूद भी मानवीय मूल्य समाप्त नहीं हुए। उपन्यास के प्रत्येक पात्र की कहानी से यह बात उभरकर सामने आती है।

### और इन्सान मर गया

रामानंद मागर का उपन्यास 'और इन्सान मर गया' विभाजन के सदम में हुए साम्प्रदायिक दंगों का आधार बनाकर लिखा गया है। विभाजन के दौरान पश्चिमी और पूर्वी पंजाब में विधेय रूप से लाहौर में साम्प्रदायिक तनाव अत्यधिक तीव्र रहा। इस तनाव के कारण हिंसा व स्थितियों पर अमानवीय अत्याचारों के व्यापक हादसे हुए। इन तमाम हादसों का लेखक ने अपने उपन्यास में स्थान दिया। दंगों की बबरता का विषय कर, मानवीय मूल्यों पर ध्येय करना एक बात है और दंगों की अविश्वसनीय बनाकर प्रस्तुत करना दूसरी बात है। रामानंद मागर ने इस उपन्यास में विभाजन की ट्रेजेडी को एक रूमानी स्तर पर देखा है। इसलिए दंगों का विषय विश्वसनीय नहीं लगता। लेखक ने तो साम्प्रदायिक दंगों के कारणों को पकड़ पाता है और नहीं उन सदमों को रेखांकित कर पाता है जिनको आधार बनाकर साम्प्रदायिक तनाव प्रदान किए गए।

1947 के दौरान लाहौर में मार काट सबसे अधिक और हिंसकपूर्ण तरीके से हुई क्योंकि दोनों सम्प्रदाय के लोग यहाँ पर दराबरी की मर्यादा में थे और दोनों सम्प्रदाय के लोगों का यहाँ कारोबार था। जमीन जायदाद और खेती थी। हिन्दू और मुस्लिम दोनों यह समझते थे कि लाहौर उनके कब्जे में आएगा, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को यहाँ से भगाने की कोशिश की। उपन्यास की

घटनाओं का क्षेत्र बिन्दु लाहौर है।

जब यह तय हो जाता है कि लाहौर पाकिस्तान में जाएगा तो लाहौर के हिन्दू व्यापारी किसी भी तरह अपने जान-माल सहित लाहौर से निकल जाना चाहते हैं। वे मुसलमान तागे वालों को रुपये का लालच देते हैं ताकि वे अपने सामान सहित सुरक्षित स्टेशन पर पहुँच जाएँ लेकिन मोहल्ले में ही हिन्दू, मुसलमान कोचवान की निन्दयतापूर्वक हत्या कर देते हैं। हिन्दुओं के घरों में आग लगाने और उनकी हत्या करने के अनेक प्रसंग इस उपन्यास में प्रस्तुत किए गए हैं। लेखक ने इन तमाम सदमों का विरोध करने के लिए उपन्यास के प्रमुख पात्र आनन्द को खड़ा किया है जो वैज्ञानिक दृष्टि से दगों को न देखकर रोमानी दृष्टि से देखता है और कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहता है। वह अपनी असफलता पर रोता है और मानवीयता की दुहाई देता है।

विभाजन की क्रूर यत्रणा स्त्रियों को भोगनी पड़ी। यह यत्रणा उठने दो रूपों में भोगी। एक तो उनके साथ पार्श्विक अत्याचार किए गए और दूसरे जब वे लुट पिट कर अपने घरों में पहुँची तो उनके परिवार वालों ने उन्हें रखने से इन्कार कर दिया। स्त्रियाँ और बच्चों पर किए गए पार्श्विक अत्याचार के अनेक दृश्य इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं। विश्व के अनेक देशों में सक्रमणकालीन स्थितियों का सामना करना पड़ता है परन्तु यह कहीं नहीं सुना गया कि एक देश के लोग ने दूसरे देश की स्त्रियों को सरेआम नंगा करके उनका जुलूस निकाला।

विभाजन के दौरान सबसे अधिक मार काट रेलगाड़ियों में हुई जहाँ पर निहत्थी जनता को सामूहिक रूप से कत्ल कर दिया गया। लेखक ने विस्तृत दृश्य प्रस्तुत कर इस विभीषिका को प्रस्तुत करना चाहा है। 14 अगस्त को अमृतसर से लाहौर पहुँचने वाली गाड़ी में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता।

इस उपन्यास में न तो कोई कथानक उभरकर सामने आता है और न ही कोई चरित्र। लेखक न तो विभाजन के पूर्व की स्थितियों का मूल्यांकन करता है और न ही विभाजन के बाद की स्थितियों का। वह सिर्फ विभाजन के बाद हुई घटनाओं का चित्र प्रस्तुत करता है। प्रसंगों की अतिरजना अविश्वसनीयता की हद तक पहुँच जाती है। उपन्यास के लेखक के पास, न तो वह दृष्टि है जो घटनाओं का विवेचन कर सके और न ही वह संवेदना है जो विभाजन से प्रभावित व्यक्तियों को सहानुभूति दे सके। उपन्यास की संवेदना इतनी ढीली और लचर है कि इसमें कोई भी क्या उभरकर सामने नहीं आती। लेखक सिर्फ दगों का वर्णन कर क्या मंत्रासदी तत्व उत्पन्न करना चाहता है। उपन्यास का 'आनन्द' प्रमुख पात्र के रूप में उभरकर सामने आता है जो रोमांटिज़्म के दायरे तक ही सीमित रहता है। दगों के मूल कारणों को समझने के स्थान पर वह दगों की भयावहता

देखकर उन पर आंगू बहाता है, बात-बात में रोता है, और अंत में भावुकता के कारण मौताना को भी मार डता है। मौताना और आनंद में लेखक ने इतनी विवेकताएँ भर दी हैं कि वे वास्तविक जीवन के चरित्र नहीं दिखाई दते। उप-यास में सघनता के स्थान पर वणनारम्भता की भरमार है और यह वणनारम्भता सामाजिक स्तर पर न रहकर रोमानी स्तर पर प्रकट होती है।

## जुलूस

पाकिस्तान के निर्माण के समय, पंजाब के साथ साथ बंगाल का भी विभाजन किया गया, इसलिए यहाँ भी वही समस्याएँ और यही मूल्य उत्पन्न हुए जो पंजाब में थे। बंगाल के विभाजन को केन्द्र में रखकर बंगला साहित्य में बहुतायत से लिखा गया लेकिन हिन्दी के साहित्यकारों ने भी बंगाल विभाजन से उत्पन्न शरणार्थियों की मन स्थिति को अपनी सवेदना का केन्द्र बनाया। फणींदरनाथ रेणु का उप-यास जुलूस बंगाल के शरणार्थियों की समस्या के विविध आयामों को हमारे समझ प्रस्तुत करता है।

उप-यास में लेखक ने नोवीन नगर और गोडियर गाव के निवासियों की कहानी बही है। पूर्वी बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बंगाल के शरणार्थी बिहार में जाकर बस गए लेकिन उन्हें अपने घरों की याद निरंतर सतानी रही। उन्हें नये देश की मिट्टी में, नये देश की फसलों में, रहन सहन में, कहीं भी अपने देश की छाप नहीं दिखाई देती। वहाँ के निवासी उन लोगों के साथ विदेशियों का सा व्यवहार करते हैं। बंगाल से निर्वासित ये लोग यह नहीं चाहते कि बिहार के लोग उन्हें 'पाकिस्तानी' कहकर उनकी उपेक्षा करें। इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है।

परायेपन का अहसास प्रत्येक शरणार्थी परिवार को भोगना पडा। एक तरफ वे अपने देश से निर्वासित कर दिए गए तो दूसरी तरफ जिस देश में गए वहाँ के निवासियों से उन्हें उपेक्षा और तिरस्कार ही मिला। उन लोगों को नये स्थान पर, लोगों की कृपा पर निर्भर रहना पडा। बंगाल के निवासियों ने अपना नया गाँव नोवीन नगर बसा लिया लेकिन स्थानीय निवासी उन्हें पाकिस्तानी ही समझते हैं और उनके गाव को पाकिस्तानी टोला कहकर पुकारते हैं। इससे विस्थापितों को यह लगता है कि पाकिस्तानी टोले कहने से वे मुसलमान हो जाएंगे जबकि वो खुद मुसलमानों से तीव्र घृणा करते हैं।

विभाजन के कारण ये लोग अपने देश को तो छोड़ आए लेकिन वहाँ की स्मृतियों को नहीं भुला पाए। जब वे पहले की स्थिति की तुलना आज की स्थिति से करते हैं तो अपनी दयनायक अवस्था को देखकर उनके मन में शोध और क्षोभ उत्पन्न होता है। उनकी इस मन स्थिति का चित्रण रेणु ने अनेक स्थलों पर

किया है। पवित्रता और कालीचरण दोनों धारणार्थी हैं, यद्यपि उन्होंने अपना नया गांव बसा लिया लेकिन पुराने गांव की यादों को वे नहीं भुला पाए। अतीत की उनकी स्मृतियों के माथ साध रेणु ने उन सामाजिक स्थितियों का भी चित्रण किया है जिनका सामना उन्हें यहां आकर करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इन विस्थापितों को वह सम्मान और आदर नहीं दिया जिसकी इन्हें अपेक्षा थी। इसके स्थान पर उन्हें अपमान और तिरस्कार ही मिला। बगाल के धारणाधियों ने, नोबीन नगर में अपना नया गांव बसा लिया। अपने लिए स्कूल खुलवा लिए लेकिन स्थानीय लोग इन धारणाधियों को हृद्य दृष्टि से ही देखते हैं, उन्हें बगाली बहकर पुकारते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं कि वे गो मांस खाते हैं। इस आरोप को वे सहन नहीं कर सकते। गोपाल पाइन अपना आश्रय ढूँढते हुए कहता है, 'बगाली-बगाली बहें, हम सह लेंगे, जब बगाल हो गए हैं तो लोग बगाल ही कहेंगे। पाकिस्तानी बोलते हैं—यह भी सहा जा सकता है लेकिन यह सरासर गो मांस खाने की बात, इसे कैसे सहा जा सकता है।'

विभाजन के कारण समाज में एक नवीन चेतना विकसित हुई और वह यह कि विस्थापितों ने अधिक समय तक अपने भाग्य को दोष नहीं दिया बल्कि जीवन के काय क्षेत्र में उतरकर अपने छोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। इसके लिए ये लोग मेहनत भजदूरी करने से भी नहीं हिचके। विभाजन की सबसे अधिक यत्नशील स्त्रियों की भोगनी पढी इसलिए विस्थापित स्त्रियों ने स्वावलम्बी बनना चाहा। जिसके फलस्वरूप अनेक लड़कियाँ स्कूल-कालेज में अध्ययन के लिए जाने लगी, अनेक समाज मेविका के रूप में सामने आईं। विभाजन के कारण ही उनमें चेतना का विकास हुआ और उनके सोचने समझने की दृष्टि में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अनेक प्रतिगामी मूल्यों के स्थान पर प्रगतिशील मूल्य अस्तित्व में आए। इन तमाम सदमों का विस्तृत वर्णन रेणु ने इन उपन्यासों में किया है। इस प्रस्तुतीकरण के कारण ही यह उपन्यास विभाजन पर लिखे गए अन्य उपन्यासों में विशेष महत्त्व रखता है।



देश का बटवारा भारतीय जनता पर अकस्मात धोना दिया गया, इसलिए देश की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। बटवारे के तूफान में सदियों से अर्जित सस्कृति, सामाजिक मूल्य, जातीयता, धार्मिकता सभी कुछ बह गए। विभाजन के साथ जनता की अदला बदली भी जुड़ी हुई थी जिसका आधार मजहब को बनाया गया था, इसलिए एक ही सस्कृति में पली हुई समान भाषाएँ, समान बोलियाँ, समान जातीय सम्बन्धों को साम्प्रदायिक मूल्यों के नाम पर बांट दिया गया। इस भासदी से लाखों की आधारशिला ही ढगमगा गई। सांस्कृतिक धरातल पर हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं था। पंजाब का मुसलमान पंजाबी भाषा बोलता था और बंगाल का मुसलमान बंगला। इसी तरह प्रांतों के हिंसा से हिन्दुओं व मुसलमानों के खान-पान रहन सहन व आचार-व्यवहार थे। दोनों में सांस्कृतिक समानता के सस्कार प्रबल थे और सदियों से एक ही प्रांत में रहने के कारण भावात्मक स्तर पर एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। विभाजन ने व्यक्ति व सांस्कृतिक सस्कारों को बहुत गहरे जाकर प्रभावित किया और उसके सम्पूर्ण अस्तित्व व भावसत्ता में बुनियादी परिवर्तन उपस्थित किया। यह बुनियादी परिवर्तन विभाजन सम्बन्धी हिंदी उपन्यासों में पूण द्विआत्मकता के साथ प्रस्तुत हुआ है।

तत्कालीन परिवेश अत्यधिक जटिल था इसलिए विभाजन जय सवेदना भी अनेक जटिल रूपों में हिंदी उपन्यासों में देखने को मिलती हैं। तत्कालीन नय विकसित सामाजिक मूल्य, सरकार की नीतियाँ, शरणार्थी समस्या के प्रति सरकार का दृष्टिकोण व शरणार्थी होने की भावना से व्यक्ति की अतश्चेतना पर द्विआत्मक प्रभाव पड़ा। इसलिए वही व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन को बदलने की कोशिश करता है तो कहीं इस परिवेश का आत्मसात कर अपनी दयनीयता का दोष अपने भाग्य को देता है।

विभाजन से यद्यपि अनेक समस्याएँ पैदा हुईं, वहाँ कुछ स्वस्थ परिणाम भी उभरकर सामने आए। जनता की अदला-बदली से समाज में नई चेतना विकसित हुई। विभाजन के कारण ही पंजाब के निर्वासितों में शिक्षित होने की भावना बलवती हुई। यह भावना स्त्रियाँ में विशेष रूप से विकसित हुई क्योंकि विभाजन

की जो यत्रणा उन्हें सहनी पड़ी वह पुरुषों को नहीं सहनी पड़ी थी और इसलिए उन्होंने स्वावलम्बी बनना चाहा। वे स्कूलों, कालेजों में शिक्षा के लिए जाने लगे। विभाजन से सस्कारों में बुनियादी परिवर्तन हुआ। विभाजन की विभीषिका में अनेक पुरातनपथी सस्कार बह गए।

विभाजन से सम्बन्धित उपन्यास आज एक इतिहास के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इस साहित्य ने सामाजिक विकास के क्रम में प्रगतिशील भूमिका निभाई। बाद में आगे चलकर नई कहानी का विकास हुआ जिसमें व्यापक रूप से सामाजिक, पारिवारिक सम्बन्धों का दिखराव, मूल्यों का टकराव व सामाजिक पीड़ा आदि की अभिव्यक्ति हुई। इन सम्बन्धों और मूल्यों के दिखराव का एक स्तर तो विभाजन के आधार पर लिखे गए उपन्यासों में देखने को मिलता है और दूसरा स्तर नयी कहानी में, जो विभाजन जय संवेदना का ही परिणाम है।



